

उद्योग

□ राजस्थान में औद्योगिक परिदृश्य :

- राज्य में प्रचुर भौतिक संसाधनों, समृद्ध खनिज सम्पदा, विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा और उत्कृष्ट कौशल से सम्पन्न है। ये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक (एम.एस.एम.ई.) इकाइयों के लिए लाभकारी विनिर्माण, प्रसंस्करण गतिविधियों और सेवाओं के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं, जो कि राज्य की ताकत रही है। राज्य के पास एम.एस.एम.ई. के लिए रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो कम्पोनेंट, वस्त्र, चमड़ा और आयामी पत्थरों के क्षेत्र में अत्यंत मजबूत आधार है। राज्य का मुख्य ध्येय राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देना और उन्हें प्रोत्साहित करना तथा उद्यमों द्वारा उच्च क्षमता स्तर प्राप्त करने हेतु सक्षम एवं अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। राज्य सरकार द्वारा आर्थिक विकास हेतु निर्यात को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में राज्य से निर्यात को बढ़ावा देंगे। राज्य द्वारा निरंतर किए गए समस्त प्रयास राजस्थान को भारत में समावेशी एवं संवहनीय औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल इको-सिस्टम के साथ सर्वाधिक पसंदीदा निवेश स्थल बनाने पर केन्द्रित हैं।
- राजस्थान अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण प्रारम्भ से ही पिछड़ा रहा है इसके लगभग 61 प्रतिशत क्षेत्र पर मरु भूमि का प्रसार है जहाँ वर्षा प्रायः बहुत ही कम होती है। अतः वहाँ की परिस्थितियाँ उद्योगों की स्थापना में अनुकूल नहीं होती है। इसी कारण स्वतंत्रता के समय राज्य में उद्योग न के बराबर थे। **दूसरी पंचवर्षीय योजना-** इसके अन्तर्गत सर्वप्रथम औद्योगिक विकास को **सर्वोच्च प्राथमिकता** दी गई।

कच्ची सामग्री को संसाधित और परिवर्तित करके परिष्कृत सामग्री तैयार करना ही निर्माण उद्योग कहलाता है। उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं तथा निर्माण क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। सकल राज्य मूल्य वर्धन में उद्योग क्षेत्र की भागीदारी का आंकलन प्रचलित मूल्य व स्थित मूल्य पर किया जाता है। राज्य के सकल मूल्य वर्धन में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र से कम व कृषि क्षेत्र से ज्यादा रहती है। सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास हेतु केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उपक्रमों एवं संस्थाओं की स्थापना की गई है।

❖ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) :

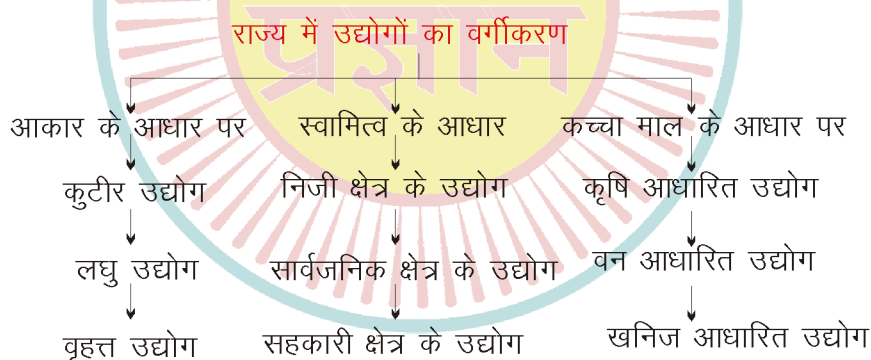
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक समग्र संकेतक है, जो कि दी गई एक निश्चित अवधि के दौरान चयनित आधार वर्ष पर औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राज्य में औद्योगिक निष्पादन का प्रमुख संकेतक है, जिसका मासिक आधार पर संकलन किया जाता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक श्रृंखला (आधार वर्ष 2011-12) तीन वृहद् समूहों तथा – विनिर्माण, खनन एवं विद्युत पर आधारित है।

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में स्थापित उपक्रम

1. **सांभर साल्ट्स लिमिटेड** : इसकी स्थापना 30 सितम्बर, 1964 को सांभर, जयपुर में हुई थी जो हिन्दुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायक इकाई के रूप में कार्यरत है।
2. **इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड** : इसकी एक इकाई कोटा व दूसरी **पालघाट (केरल)** में स्थित है। कोटा संयंत्र 1965 में स्थापित किया गया था। इसमें 1968-69 से उत्पादन चालू हुआ था। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एण्ड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड जयपुर इसकी एक सहायक कम्पनी है, जो रीकों के साथ संयुक्त क्षेत्र में 1982-83 में स्थापित हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, विद्युत उत्पन्न करने वाले यंत्र एवं रासायनिक यंत्रों का निर्माण करने हेतु रूस की सहायता से स्थापित किया गया।
3. **मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड** : यह 1965 में जयपुर में स्थापित की गई थी। इसकी 14 ब्रेड इकाईयाँ हैं जिनमें से एक जयपुर (राजस्थान) में विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित ब्रेड बनाने का कार्य करती है। इसे **मॉडर्न बेकरीज** भी कहते हैं।
4. **हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड-देबारी** : इसके अन्तर्गत **5 खाने** (तीन राजस्थान, एक आन्ध्रप्रदेश में तथा एक उड़ीसा) तथा 3 स्मेल्टर्स (एक राजस्थान में, एक बिहार में तथा एक विशाखापट्टनम में) हैं। राजस्थान में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना देबारी (उदयपुर) में 10 जनवरी, 1966 में हुई थी। राज्य में इसके संयंत्र—**देबारी (उदयपुर) तथा चन्देरिया (चित्तौड़)** में हैं। इस संयंत्र का प्रबन्ध अब वेदान्त रिसोर्सेज करता है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का सीसा-जस्ता शोध संयंत्र **एशिया का सबसे बड़ा सीसा-जस्ता शोध संयंत्र** है।

5. **हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड,—खेतड़ी :** इसकी स्थापना खेतड़ी नीमकाथाना में नवम्बर 1967 में USA की सहायता से की गई थी। राज्य के अलावा इसके संयंत्र बिहार, आन्ध्रप्रदेश व मध्यप्रदेश में भी हैं।
6. **हिन्दुस्तान मशीन टूल्स—अजमेर :** भारत सरकार की कम्पनी HMT के अन्तर्गत 6 इकाई HMT, 4 इकाई वाच व 3 डेयरी मशीनरी आदि है। HMT अजमेर इस क्रम की छठी इकाई है जो चेकोस्लावाकिया की मदद से 1967 में स्थापित की गई।
7. **राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स व इन्स्ट्रूमेन्ट्स (REIL) लिमिटेड :** कोटा इन्स्ट्रूमेन्ट लिमिटेड कोटा की सहायक कम्पनी होने के नाते यह केन्द्रीय सरकार के उपक्रम में शामिल की जाती है। इसे संयुक्त क्षेत्र की इकाई भी कहा जाता है। जयपुर में इसकी स्थापना 1982-83 को कनकपुरा, जयपुर में की गई थी जो टेलीविजन सेट्स निर्माण हेतु प्रसिद्ध है।

राज्य में उद्योगों का वर्गीकरण



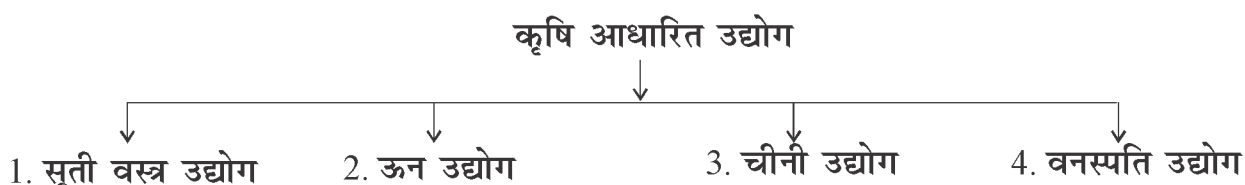
- **उद्योग**—व्यक्ति अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो आर्थिक गतिविधियाँ करता है, उसे उद्योग कहते हैं।
- **कुटीर उद्योग**—किसी एक परिवार के सदस्यों द्वारा अंशकालिक/पूर्ण रूप से किया जाता है। निवेश—नाम मात्रा का होता है।
- **लघु उद्योग**— इसमें पूँजी निवेश होता है। उत्पादन—आधुनिक ढंग से तथा श्रमिकों की प्रधानता होती है।
- **ग्रामोद्योग**—स्थापित 10 हजार से कम जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित। भूमि, भवन, मशीनरी इत्यादि में प्रति कारीगर 15 हजार से कम स्थित पूँजी निवेश वाले उद्योग ग्रामोद्योग के अंतर्गत आते हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) :

- उद्यम वर्गीकरण के नये मानदण्डों के आधार पर 1 जुलाई, 2020 से लागू नये संशोधित वर्गीकरण के अनुसार एक उद्यम को निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है:—
- अ) **सूक्ष्म उद्यम** : ऐसा उद्यम, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरणों में निवेश 1.00 करोड़ से अधिक नहीं हैं और वार्षिक कारोबार 5.00 करोड़ से अधिक नहीं है।
- ब) **लघु उद्यम** : ऐसा उद्यम, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरणों में निवेश 10.00 करोड़ से अधिक नहीं हैं और वार्षिक कारोबार 50.00 करोड़ से अधिक नहीं है।
- स) **मध्यम उद्यम** : ऐसा उद्यम, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरणों में निवेश 50.00 करोड़ से अधिक नहीं हैं और वार्षिक कारोबार 250.00 करोड़ से अधिक नहीं है।
- राज्य की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयां राज्य के औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, रोजगार एवं उद्यमिता के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। विशेष रूप से, रोजगार सृजन में इसका योगदान व्यापक रूप से मान्य है। इस प्रकार, राज्य में एम. एस. एम.ई. उद्यमों को बढ़ावा देने और सहयोग के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय लागू किए गए हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:—

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पंजीकरण : संशोधित एम.एस.एम.ई. परिभाषा के अनुसार एम.एस. एम.ई. पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एम.एस.एम.ई., मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई, 2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया है।

राजस्थान के प्रमुख उद्योग



❖ सूती वस्त्र उद्योग :

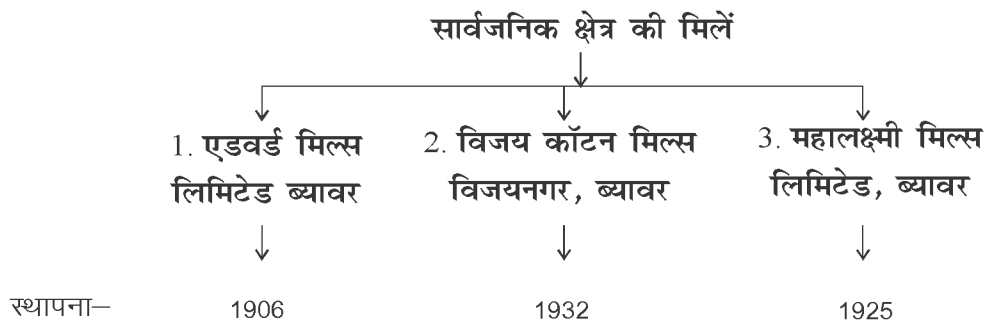
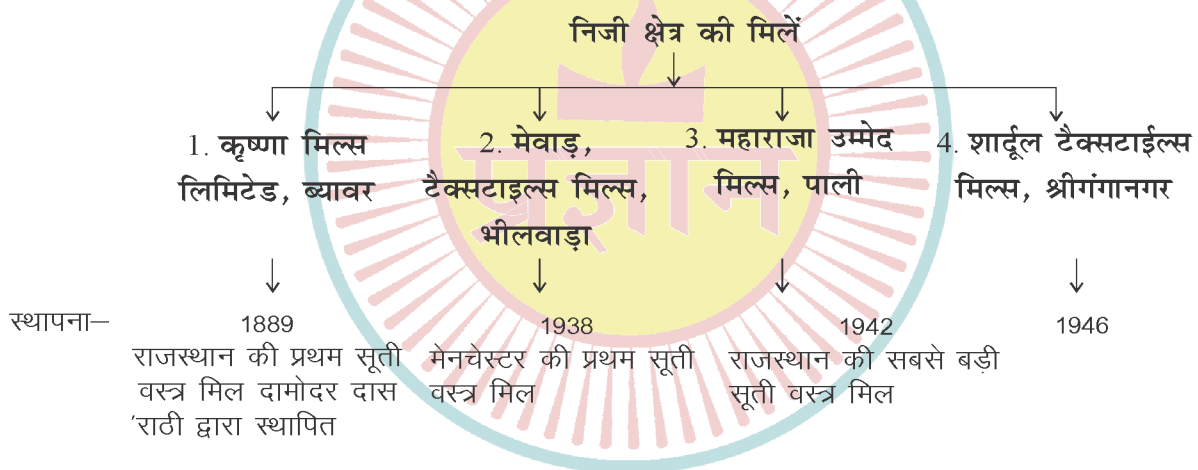
- भारत का सबसे बड़ा उद्योग जो रेलवे के बाद सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है। यह परम्परागत संगठित उद्योग है जो कृषि पर सर्वाधिक आधारित है।
- इस उद्योग की स्थापना का सर्वप्रथम प्रयास 1818 ई. में फोर्ट ग्लोस्टर (कलकत्ता) में किया गया जो असफल रहा। इसका पहला सफल प्रयास 1856 ई. में **कावास जी डाबर नानाभाई** द्वारा मुम्बई में हुआ।
- कपास के उत्पादक क्षेत्र में होने एवं उपयुक्त आर्द्र जलवायु के कारण 19वीं सदी के अन्त तक **मुम्बई भारत का मेनचेस्टर/भारत की कपास नगरी** कहा जाने लगा।

❖ राजस्थान में वर्तमान में कुल 23 सूती वस्त्र मिलें है :-

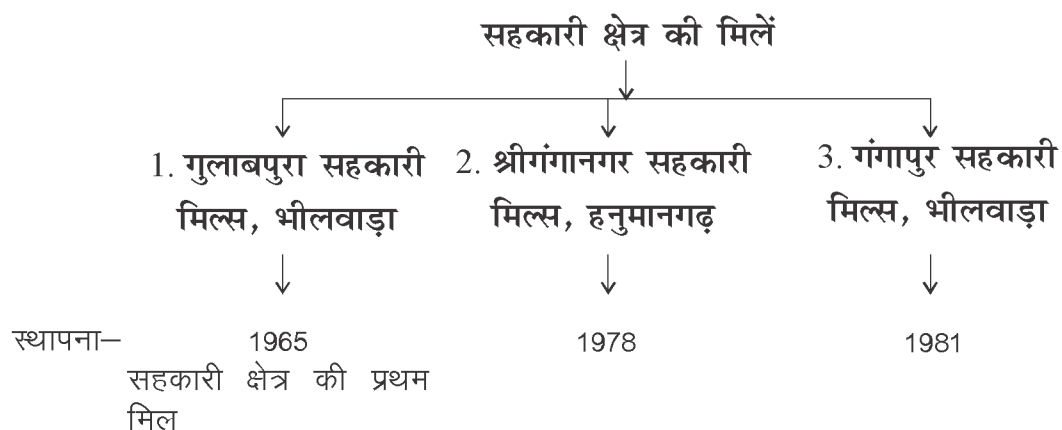
1. निजी क्षेत्र-17

2. सहकारी क्षेत्र-03

3. सार्वजनिक क्षेत्र-03



☞ **नोट**—1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा इन तीनों मिलों को निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में मिला दिया गया है।

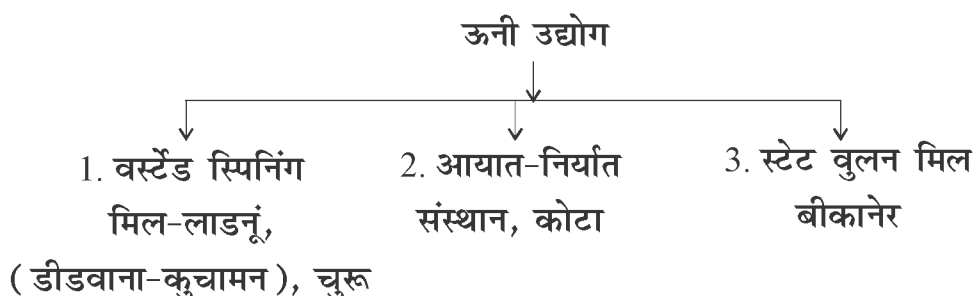


- **नोट—1** अप्रैल, 1993 को तीनों मिलों को राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड (स्फिनफैड) की स्थापना की गई।
- **नोट—**भीलवाड़ा में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले हैं इसलिए भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। यहाँ कम्प्यूटर एडेड डिजाइन सेट (पावरलूम उद्योग में) स्थापित किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य :

- उत्तर भारत का मैनचेस्टर — **कानपुर**
- दक्षिण भारत का मैनचेस्टर — **कोयम्बटूर**
- भारत का बोस्टन/टेक्सटाईल नगरी — **अहमदाबाद**
- राजस्थान का नवीतनम मैनचेस्टर — **भिवाड़ी (खैरथल—तिजारा)**

□ ऊन उद्योग :



महत्वपूर्ण तथ्य

- एशिया की सबसे बड़ी ऊन मण्डी—बीकानेर।
- अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड—जयपुर।
- शाहगढ़, जैसलमेर में भारत का प्रथम एकीकृत टैक्सटाइल्स पार्क विकसित किया गया।
- राजस्थान में तीन ऊन मण्डी हैं—बीकानेर, ब्यावर, अजमेर।
- 1965 में ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना बीकानेर में की गई है।

❑ चीनी उद्योग :

- राज्य में चीनी उद्योग ऐसा संगठन है जिसमें सार्वजनिक सहकारी व निजी तीनों क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किये गये हैं।

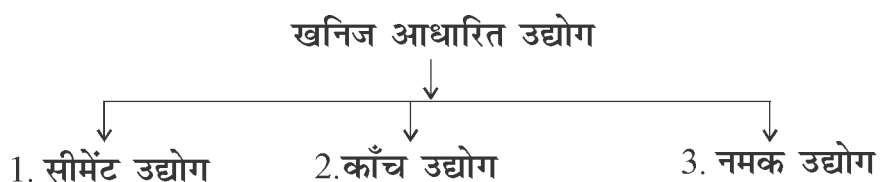
❖ राज्य में तीन चीनी मिले हैं:-

1. **दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड**—राज्य की प्रथम चीनी मिल जो 1932 में भोपालसागर (चित्तौड़) के निजी क्षेत्र में स्थापित की गई।
2. **दी गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड**—1937 में यह राज्य की दूसरी चीनी बनाने की मिल स्थापित। 1956 से यह सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम मिल। यहाँ 1968 से यहाँ चुकन्दर से चीनी बनाई जाती थी। वर्तमान में चुकन्दर से चीनी बनाना बंद है। जनवरी 2016 में गंगानगर शुगर मिल की स्थापना कमीनपुरा, करणपुर गंगानगर में की गई। गंगानगर शुगर मिल शराब बनाने का कार्य भी करती है। रॉयल हैरीटेज लीकर, केसर कस्तूरी ब्राण्ड गंगानगर शुगर मिल की उच्च गुणवत्ता वाली शराब है।
3. **केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड (बूंदी)**—1965 में सहकारी क्षेत्र की प्रथम शुगर मिल्स स्थापित की गई थी जो वर्तमान में बंद है।

❑ वनस्पति घी उद्योग :

- राज्य में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना 1964 में भीलवाड़ा में खोला गया। केसर वनस्पति घी—निवाई, टोंक। महाराजा वनस्पति घी—आमेर, जयपुर। रोहिताश वनस्पति घी—दुर्गापुरा, जयपुर में उत्पादित होता है।

❑ खनिज आधारित उद्योग :



❑ सीमेन्ट उद्योग :

- राजस्थान सीमेंट उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। ये खनिज पर आधारित संरचनात्मक और आधारभूत उद्योग है, जिसमें कच्चे माल के रूप में चूना, पत्थर और जिप्सम का उपयोग किया जाता है। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेन्ट का निर्माण 1824 ई. में ब्रिटेन के **पोर्टलैंड नामक** स्थान पर किया गया था जबकि भारत में सीमेन्ट बनाने का पहला कारखाना 1904 में मद्रास में स्थापित किया गया था। जहाँ समुद्री सीपियों से सीमेन्ट बनाने का प्रयास किया गया था। **पोजलाना, पोर्टलैंड-सीमेंट** की किस्में।

महत्वपूर्ण तथ्य :

- राजस्थान में सर्वप्रथम 1915 में **लाखेरी (बूंदी)** में क्लीक निक्सन कम्पनी द्वारा पहला कारखाना स्थापित किया गया था। यहाँ से A.C.C. (Associate Cement Company) सीमेंट का उत्पादन होता है। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान राज्य का दूसरा एवं एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना 1953 में जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा सवाईमाधोपुर में स्थापित जिससे उत्पादित सीमेंट का नाम **त्रिभुवन छाप सीमेंट** रखा गया, वर्तमान में बन्द पड़ा है। बिड़ला जूट के नाम से 10 मई, 1967 में स्थापित चित्तौड़गढ़ में स्थापित कारखाना **चेतक छाप सीमेंट** का उत्पादन करता है। निम्बाहेड़ा (चित्तौड़) में 1974 में स्थापित जे.के. सीमेंट कारखाना राज्य का सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला कारखाना है।
- श्री सीमेंट-ब्यावर**—1985 में भारत का सबसे बड़ा उत्पादन वाला कारखाना 2005 व 2008 में इसे दो बार ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में **‘गोल्डन पिकॉक’** पुरस्कार दिया गया। यह उत्तरी भारत की सबसे बड़ी कम्पनी है।

❖ राजस्थान में प्रमुख सीमेन्ट कारखानें :

- राजश्री सीमेंट—ब्यावर
- जे.के. लक्ष्मी सीमेंट—1982 पिण्डवाड़ा, सिरौही
- बिनानी सीमेंट लिमिटेड—1997 पिण्डवाड़ा, सिरौही
- अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड —राबड़ियावास, ब्यावर
- श्री सीमेंट लिमिटेड—रास, ब्यावर
- श्री सीमेंट लिमिटेड—जोबनेर, जयपुर
- श्री सीमेंट लिमिटेड — सूरतगढ़, गंगानगर
- श्री सीमेंट लिमिटेड — खुशखेड़ा, खैरथल—तिजारा
- मंगलम सीमेंट — मोडक, कोटा
- श्रीराम सीमेंट — श्रीराम नगर, कोटा (यह राजस्थान का सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला कारखाना है।)
- नीर श्री सीमेंट—मोडक, कोटा
- डी.एल.एफ सीमेंट—रास, पाली
- त्रिनेत्र सीमेंट—नौलखा, बांसवाड़ा
- आदित्य सीमेंट—चित्तौड़गढ़
- ग्रासीम सीमेंट लिमिटेड—कोटपूतली (कोटपूतली, बहरोड़)
- लाफार्ज इण्डिया लिमिटेड—भावलिया, निम्बाहेड़ा—चित्तौड़गढ़। (यह फ्रांस लाफार्ज कम्पनी द्वारा स्थापित है।)
- **सानू क्षेत्र (जैसलमेर)—**सीमेन्ट कारखाना स्थापन की विपुल संभावनाएँ हैं।
- मारवाड़ सीमेंट वर्क्स—मूँडवा (नागौर) ग्रीन प्लांट के रूप में स्थापित अंबुजा सीमेंट के नए प्लांट 'मारवाड़ सीमेंट वर्क्स' का उद्घाटन मूँडवा (नागौर) में अगस्त 2021 में किया गया है। यह अडानी समूह द्वारा संचालित है।

❖ राजस्थान में प्रमुख सफेद सीमेंट के कारखाने :

1. जे.के. व्हाइट सीमेंट वर्क्स—गोटन (नागौर)।

यह राजस्थान का सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना है जो 1984 में स्थापित किया गया।

2. अल्ट्राटेक सीमेंट—खारिया खंगार (जोधपुर ग्रामीण) यह राजस्थान का सफेद सीमेंट का दूसरा व सबसे बड़ा कारखाना है जो 1888 में स्थापित किया गया।

3. जे.के. व्हाइट सीमेंट—मांगरोल, चित्तौड़गढ़। यह राज्य का तीसरा सफेद सीमेंट कारखाना है।

□ काँच उद्योग :

- काँच उद्योग के लिए कच्चा माल—काँच बालूका, सोडा सल्फेट, शोरा आदि। काँच निर्माण के लिए इसे 1600 से 1650 सेण्टीग्रेड पर पिघलाया जाता है। काँच बालूका उत्पादन वाले जिले जयपुर, सवाईमाधोपुर व बूँदी।

• राजस्थान में वर्तमान में 3 काँच के कारखाने हैं—



महत्वपूर्ण तथ्य :

- दी हाई टेक्निकल प्रीसीजन ग्लास वर्क्स (हाईटेक) धौलपुर—यह सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत है। यहाँ शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है। यह उपक्रम गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड से अधीन कार्यरत है।
- सेंट गोबेन कम्पनी, कहरानी (भिवाड़ी, खैरथल—तिजारा)—यह फ्रांस की कम्पनी है, जिसकी स्थापना 2008 में की गई। यह भारत का सबसे बड़ा ग्लास संयंत्र है। काँच पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए सिरेमिक्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण खारा बीकानेर में निजी कम्पनी ववासी टेलीजेंस लिमिटेड द्वारा किया गया है। काँच और सिरेमिक उद्योग के विकास के लिए राजस्थान का पहला घिलोट औद्योगिक क्षेत्र (कोटपूतली—बहरोड़) हब के रूप में विकसित किया गया।

❖ राज्य में प्रमुख सिरेमिक संयंत्र :

1. बीकानेर सिरेमिक्स प्राईवेट लिमिटेड—बीकानेर
2. कजारिया सिरेमिक्स लिमिटेड—गेलपुर (खैरथल—तिजारा)
3. कजारिया सिरेमिक्स लिमिटेड—मालूताना (अलवर)
4. भल्ला सिरेमिक्स वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड—भिवाड़ी (खैरथल—तिजारा)

❑ नमक उद्योग :

- भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादित राज्य गुजरात है और राजस्थान का चौथा स्थान है जबकि झीलों द्वारा उत्पादित नमक में प्रथम स्थान है। देश के कुल उत्पादन का 12 प्रतिशत राज्य से प्राप्त होता है। राज्य में नमक उत्पादन 2 विधियों से किया जाता है—
 1. **वाष्पीकरण**—इससे उत्पादित नमक को क्यार कहते हैं।
 2. **वायु प्रवाह पद्धति**—इससे उत्पादित नमक को रेस्ता कहते हैं।
- नमक कार्यों में लगी निजी संस्थाओं को **देवल** कहते हैं। सांभर झील देश का सबसे बड़ा आंतरिक नमक का स्रोत है। यह अकेली झील देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7 प्रतिशत उत्पादन करती है। पचपदरा में खारवाल जाति के लोग **मोरली नामक झाड़ी** से नमक उत्पादन करते हैं।

राजस्थान में प्रमुख नमक कारखानें

क्र.सं.	कारखाने का नाम	स्थान	स्थापना
1.	साँभर साल्ट लिमिटेड (हिन्दुस्तान साल्ट लि. की सहायक कम्पनी है।)	साँभर	1964 ई.
2.	राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स	डीडवाना	1960 ई.
3.	राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स	पंचपद्रा	1960 ई.
4.	राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स (सोडियम सल्फेट के उत्पादन के लिए)	डीडवाना	1964 ई.
5.	राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स (सोडियम सल्फाइड के उत्पादन के लिए)	डीडवाना	1964 ई.

❑ उर्वरक व रासायनिक आधारित उद्योग :

- राज्य में सर्वाधिक उर्वरक कारखाने **उदयपुर** में है।

❖ राज्य में प्रमुख उर्वरक बनाने के कारखाने :

क्र.सं.	उर्वरक इकाई	स्थान
1.	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स	गड़पान (कोटा)
2.	श्रीराम केमिकल्स	कोटा
3.	जीवन फर्टिलाइजर्स	कोटा
4.	गंगानगर फर्टिलाइजर्स	कोटा
5.	ज्योति ट्रिपल सुपर फॉस्फेट	खेतड़ी (झुंझुनू)
6.	राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	कपासन (चित्तौड़गढ़)

❖ राज्य में उर्वरक बनाने के कारखाने :

1. रसायन उद्योग स्टेट केमिकल वर्क्स-डीडवाना (डीडवाना-कुचामन)
 2. रामा फॉस्फेट, लकड़वास (उदयपुर)
 3. पाइराइट एवं फॉस्फेराइट लि.-नीमकाथाना
 4. गायत्री स्पिनर्स लि.-हम्मीरगढ़ (भीलवाड़ा)
 5. जीवन फर्टिलाइजर्स-कोटा
- राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड-चंदेरिया चित्तौड़गढ़। यह उत्तर भारत का प्रथम डीएपी खाद कारखाना है।
 - मोदी एल्केलाइन एण्ड केमिकल लिमिटेड उद्योग अलवर में स्थापित किया गया है।

❑ इंजीनियरिंग उद्योग :

क्र.सं.	इकाई	स्थान
1.	नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	जयपुर
2.	मान इण्डस्ट्रीयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जयपुर
3.	कमानी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जयपुर
4.	अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड	अलवर
5.	ओरियण्टल पॉवर केबल्स	कोटा
6.	कावेण्ट्री मैटल्स ऑफ राजस्थान लिमिटेड	जयपुर
7.	केप्सटन मीटर्स लिमिटेड	जयपुर
8.	टैक्सी मीटर्स एण्ड इक्विमेंट्स लिमिटेड	जयपुर

- **जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स**—जयपुर, 30 अगस्त, 1943 बिजली के तार बनाने की कम्पनी है, जो वर्तमान में बंद है।
- **कैप्सटन मीटर कम्पनी**—जयपुर व पाली (पानी के मीटर बनाती है।)
- **मान इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन**—जयपुर। लोहे के बड़े टॉवर, ढांचों आदि का निर्माण करती है।
- **सिमको वैगन फैक्ट्री (CIMMCO, Central India Machinery Manufacturing company)**—भरतपुर 31 जनवरी, 1957 को स्थापना की गई। यहाँ रेलवे डिब्बे बनाए जाते हैं।
- **फ्लोर्सपार संयंत्र**—डूंगरपुर। इस्पात, एल्युमिनियम व फ्लोराइड बनाने का संयंत्र है। फ्लोर्सपार तैयार किया जाता है।
- **वैगन फैक्ट्री (कोटा)**—यहाँ बड़ी लाइन के वैगनों का निर्माण होता है।
- **अवंति स्कूटर्स**—अलवर।
- राजस्थान का प्रथम कार उत्पादन कारखाना—होंडा कार परियोजना, खुशखेड़ा (खैरथल—तिजारा) होंडा सिओल कम्पनी द्वारा।
- **होंडा मोटर साईकिल व स्कूटर्स इंडिया प्रा. लि.**—टपूकड़ा (खैरथल—तिजारा)।

अन्य उद्योग एवं कार्यक्रम

- टायर—ट्यूब बनाने का कारखाना — **कांकरौली (राजसमंद)।**
- बिजली के मीटर — **जयपुर।**
- कैप्सटन मीटर कम्पनी (पानी के मीटर) — **जयपुर व पाली।**
- पीतल के बर्तन — **जयपुर।**
- सरकारी क्षेत्र में बर्फ का कारखाना — **जयपुर।**
- टेलीफोन उपकरण— **भिवाड़ी (खैरथल—तिजारा)।**
- तांबे के बर्तन — **भीलवाड़ा।**
- लोहे के औजार — **नागौर।**

- तलवारें – सिरौही।
- मालगाड़ी के डिब्बे बनाने का कारखाना – अजमेर।
- रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना—सिमको वेगन फैक्ट्री – भरतपुर।
- फ्लोर्सपार बेनिफिशियेन संयंत्र – मांडों की पाल—झुंजरपुर।
- सेन्ट्रल इंडिया मशीनरी मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (सिमको) – भरतपुर (1957)
- अरावली स्वचालित वाहन लि. – अलवर।
- मयूर बीड़ी इण्डस्ट्रीज – टोंक।
- सौर ऊर्जा संयंत्र – मथानिया, जोधपुर।
- सर्वाधिक लघु उद्योग इकाईयाँ – जयपुर, अलवर, करौली।
- माचिस व अगरबत्ती उद्योग— अलवर, अजमेर।
- नेशनल ट्रेनिंग सेन्टर फॉर वुड टेक्नॉलोजी एंड डिजाइन – जोधपुर।
- एयरकार्गो काम्पलेक्स – सांगानेर, जयपुर।
- लाख का सर्वाधिक कार्य – जयपुर।
- हैण्ड ब्लॉक प्रिन्टिंग एवं क्राफ्ट के लिए प्रथम टेक्सटाइल पार्क – जयपुर।
- लोहे के टॉवर – मान इण्डस्ट्रीज, जयपुर।

राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख निगम व संस्थाएँ

❖ उद्योग एवं वाणिज्य विभाग :

- राज्य में औद्योगिक विकास के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के नेतृत्व में कई संस्थानों के माध्यम से सार्वजनिक नीतियाँ एवं सुधार क्रियान्वित किए जाते हैं। यह राज्य में उद्योगों एवं हस्तशिल्प के प्रोत्साहन तथा औद्योगिक गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन, सहायता एवं सुविधाएं प्रदान करने के लिए नोडल विभाग है। वर्तमान में, उद्यमियों को इनपुट तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु 36 जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र तथा 8 उप केन्द्र कार्यरत हैं। उद्यमियों की सुविधा हेतु सभी जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों में एम.एस.एम.ई. निवेशक सुविधा केन्द्र (एम.आई.एफ. सी.) की स्थापना की गयी है, ताकि उद्यमियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके। राज्य में आने वाले निवेश को प्रोत्साहित करने व नव उद्यम स्थापना में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विवाद एवं निवारण तन्त्र (डी.आर.एम.) के रूप में समिति का गठन किया गया है, जिसके निर्णय सभी विभागों पर बाध्यकारी है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 110 बैठकें आयोजित की गई हैं। राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विलम्बित भुगतान के निस्तारण हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 में प्रदत्त शक्तियों के तहत 10 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों का पुनर्गठन कर 14 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों का गठन किया गया। इन 14 सुविधा परिषदों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 1,617 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

1. राजस्थान वित्त निगम (RFC:-Rajasthan Financial Corporation) :

- स्थापना**—17 जनवरी, 1955 को राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 के तहत की गई।
- मुख्यालय**—उद्योग भवन, जयपुर।
- ♦ **मुख्य उद्देश्य** : राज्य की अति लघु, लघु व मध्यम पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को मध्यम व दीर्घकालीन वित्तीय सहायता देना। राज्य के तीव्र औद्योगिकरण में सहयोग देना तथा औद्योगिक गति को नया आयाम देना। स्थापित उद्योगों के विस्तारीकरण तथा नवीनीकरण हेतु ऋण उपलब्ध कराना। राज्य सरकार के अभिकर्ता की भूमिका के रूप में कार्य करना।

- ◆ **प्रमुख कार्य :** निगम द्वारा औद्योगिक इकाइयों को 20 करोड़ तक के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। निगम द्वारा उद्योग स्थापित करने हेतु भूमिक्रय, भवन निर्माण—यंत्र—संयंत्र खरीदने, ब्रिज लोन एवं कार्यशील पूंजी हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। औद्योगिक इकाइयों को ऋण स्वीकृत करने हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार IDBI व IFCI के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना।
- ❖ **राजस्थान वित्त निगम द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु संचालित की जा रही मुख्य ऋण योजनाएँ :**
 - **‘पलैक्सी ऋण योजना’** — ऋण लेने वाले अच्छे उद्यमियों को प्रोत्साहित हेतु यह योजना प्रारम्भ की गई है।
 - **‘टॉप-अप ऋण योजना’**—वर्तमान ऋण प्राप्त सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यमियों (एम.एस.एम.ई.) की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह योजना प्रारम्भ की गई है। निगम राज्य में MSME उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु वर्तमान में 12 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवा रहा है।
 - **‘सिल्वर कार्ड’ योजना**—वित्त निगम के गुड बोरोअर्स जिन्होंने अपने पूर्व ऋणों का 50 प्रतिशत से अधिक चुका दिया हो, को आवश्यकता पड़ने पर और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना।
 - **गोल्ड कार्ड स्कीम**—वित्त निगम के अच्छे ऋणी गुड बोरोअर्स को कार्यशील पूंजी व अतिरिक्त परिसम्पत्तियों की खरीद हेतु ऋण उपलब्ध कराने की योजना।
 - **प्लेटीनम कार्ड स्कीम**—अच्छे ऋणी जिन्होंने गोल्ड कार्ड या अन्य योजना के तहत ऋणों की दो वर्ष तक समय पर अदायगी की है, उन्हें पुनः तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने हेतु और ऋण देने की योजना।
 - **टेक्नोक्रेट स्कीम**—इस स्कीम में तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु 20 औद्योगिक परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
 - निगम द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विकलांग उद्यमियों को उद्योगों की स्थापना एवं होटल आदि के लिए 5 लाख रुपये तक के ऋण सामान्य दर से 2 प्रतिशत कम ब्याज दर उपलब्ध कराए जाते हैं।
 - **महिला उद्यमनिधि योजना**—महिला उद्यमियों को अति लघु, लघु औद्योगिक या सेवादात्री इकाइयों (परिवहन इकाइयों के अलावा) की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रारम्भ की गई योजना।

- **सेमफेक्स योजना (Self Employment for Ex-serviceman scheme)**—भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।
- **शिल्पबाड़ी योजना**—ग्रामीण व शहरी शिल्पियों व दस्तकारों की सहायतार्थ प्रारम्भ की गई योजना।

2. रीको (RIICO) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग लिमिटेड :

- सर्वप्रथम 28 मार्च, 1969 को राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम (RIMDC) की स्थापना की गई। नवम्बर 1979 को इसका विभाजन कर राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम (RSMDC) तथा जनवरी 1980 में रीकों की स्थापना की गई।
- ◆ **मुख्य उद्देश्य :** राज्य में औद्योगिक संरचना विकास व औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना, मध्यम व वृहद् उद्योगों को अवधि ऋण उपलब्ध कराना तथा उन्हें तकनीकी सलाह, मर्चेन्ट बैंकिंग गतिविधियों व इक्विटी सहभागिता द्वारा औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करना।
- ◆ **मुख्य कार्य :** वृहद्, मध्यम व लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। आधारभूत सुविधाएँ प्रदान कर लघु, मध्यम एवं वृहद् श्रेणी के उद्योग स्थापित करने हेतु औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना। औद्योगिक व्यापार एवं विनियोग संवर्द्धन का कार्य। मर्चेन्ट बैंकर के रूप में कार्य करना। औद्योगिक परियोजनाओं के संबंध में परियोजना प्रतिवेदन व रूपरेखा तैयार करना तथा तकनीकी सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करना। सरकार की ओर से उद्योगों के विकास हेतु विशेष वित्तीय रियायतें व प्रोत्साहन उपलब्ध कराना।
- ◆ **आधारभूत विकास :** रीको औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एवं औद्योगिक इकाइयों हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास करता है।
- ◆ **वित्तीय सहायता :** रीको राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु उद्योगों एवं औद्योगिक विकास की अन्य परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। रीको राज्य में लघु, मध्यम एवं वृहद् श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के लिए अनेक प्रकार की रियायतें एवं प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह उद्यमियों को तकनीकी व प्रबंधकीय सहायता भी प्रदान करता है।
- ◆ **क्षेत्रीय औद्योगिकीकरण प्रोत्साहन योजना :** 2011-12 से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बारौ तथा प्रतापगढ़ जिलों में निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से रीको द्वारा आवंटित भूखण्डों पर उत्पादन शीघ्र प्रारम्भ करने को प्रोत्साहित करने हेतु यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।

- ◆ **जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रीय औद्योगिकरण प्रोत्साहन योजना :** राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जनजाति बाहुल्य जिलों यथा—बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं सिरौही में रीको द्वारा नए उद्योगों को स्थापित करने हेतु आधारभूत सुविधाओं में विशेष रियायत दिए जाने की दृष्टि से 'जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रीय औद्योगिकरण प्रोत्साहन वर्ष 2009—2010' प्रारम्भ की गई है।
- ❖ **रीको द्वारा विकसित विशेष पार्क्स/जोन :**
 - **मेड टेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क :** जोधपुर के बोरानाड़ा में 274 एकड़ भूमि पर रीको द्वारा मेड टेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क विकसित किया गया है।
 - **इंटिग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क :** रीको ने प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये जयपुर जिले के जमवारामगढ़, थौलाई औद्योगिक क्षेत्र में 48.21 हेक्टेयर भूमि पर इंटिग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क विकसित किया गया है।
 - **एग्रो फूड पार्क्स :** रीको द्वारा 04 एग्रो फूड पार्क्स बोरानाड़ा (जोधपुर), कोटा, अलवर एवं श्रीगंगानगर में विकसित किए गए हैं। रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र तिंवरी, जोधपुर में लगभग 33 हेक्टेयर भूमि पर "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र" भी विकसित किया गया है।
 - **स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉयज जोन :** रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा, भिवाडी द्वितीय में 56,576 वर्गमीटर क्षेत्र में विस्तृत स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉयज जोन विकसित किया है।
 - **जापानी जोन :** रीको द्वारा नीमराना औद्योगिक क्षेत्र, जिला अलवर, में जापानी क्षेत्र स्थापित किया गया है। इस औद्योगिक क्षेत्र में अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जैसे डार्किन, हिटाची, एस्टिमो, डार्निची कलर, टोयोटा गोसी मिंडा, मिकुनी, निडेक एण्ड युनिचार्म हाईजिनिक एण्ड टोकाई रिका मिंडा आदि संचालित है। वर्तमान में इस पार्क में 49 इकाइयां कार्यरत हैं। एक अन्य जापानी क्षेत्र अलवर के घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 534 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया है।

विभिन्न औद्योगिक पार्क

❖ (निर्यात संवर्द्धन पार्क) EPIP Export Promotion Industrial Park :

1. सीतापुरा (जयपुर) में 1997 में स्थापित।
2. बोरानाड़ा, जुलाई, 2003 (जोधपुर)।
3. नीमराणा (कोटपूतली-बहरोड़) फरवरी, 2004 को स्थापित।

❖ **नोट**—बोरानाड़ा हैण्डीक्राफ्ट सेज—राज्य का प्रथम सेज जो समाप्त हो चुका है। 2014 में इसकी अधिसूचना रद्द कर दी गई। अब यह सामान्य औद्योगिक क्षेत्र में बदला गया है। अब इसका नाम बोरानाड़ा इंडस्ट्रीयल पार्क कर दिया गया है।

- **सूचना तकनीक** — सीतापुरा (जयपुर), भिवाड़ी (खैरथल—तिजारा), कोटा, जोधपुर, उदयपुर।
- **सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क** — कनकपुरा (जयपुर)
- **इलेक्ट्रॉनिक्स** — कूकस (जयपुर) में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स व इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। कोटा में कोटा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स।
- **दस्तकारी**— पाल शिल्पग्राम (जोधपुर) व जैसलमेर तथा जयपुर में हैण्डीक्राफ्ट टूरिज्म कॉम्प्लेक्स।
- **पुष्प पार्क**— खुशखेड़ा (खैरथल—तिजारा)
- **चमड़ा पार्क** — मानपुरा—माचेड़ी, सीतापुरा (जयपुर) भिवाड़ी — (खैरथल—तिजारा)
- **होजरी कॉम्प्लेक्स** — चोपांकी (खैरथल—तिजारा)
- **स्टोन पार्क** — मंडोर (जोधपुर), मंडाना (कोटा), सिकन्दरा (दौसा)।
- **साइबर पार्क** — जोधपुर
- **अर्थ स्टेशन** — सीतापुरा (जयपुर) व बोरानाड़ा (जोधपुर)।
- **मार्बल मण्डी** — किशनगढ़ (अजमेर)।
- **बायोटेक्नोलॉजी पार्क** — सीतापुरा, जयपुर । चोपांकी, खैरथल—तिजारा।
- **राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क** — रामपुरा भाटियान, जोधपुर ।
- **राजस्थान का द्वितीय स्पाइस पार्क** — रामगंज, कोटा।
- **राजस्थान का पहला राईस कलस्टर** — बूंदी।
- **कालाडेर—जयपुर** — राज्य का पहला गाँव जहाँ साइबर कियोस्क की स्थापना की गई।
- **रूपा की नांगल** — जयपुर —प्रथम राष्ट्रीय स्तर का सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान।
- **हैण्ड टूल जोन** — गोगेलाव (नागौर)
- **आर्टिफिशियल ज्वेलरी जोन** — बड़गाँव (सिरोही)
- **सिरेमिक परीक्षण प्रयोगशाला** — बीकानेर।
- **वूलन कॉम्प्लेक्स**— नरबड़खेड़ा, ब्यावर (अजमेर)
- **राज्य का पहला टेलीमेडिसिन सेन्टर** — कैथून (कोटा)

विशेष आर्थिक प्रदेश (SEZ-Special Economic Zone)

❖ SEZ की परिभाषा :

- किसी देश के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित ऐसी इकाईयाँ जिन्हें विशेष रियायतें प्राप्त होती हैं जो कि गैर सेज क्षेत्रों को प्राप्त नहीं होती हैं। इन्हें आयात-निर्यात संबंधी व कर संबंधी सुविधा प्राप्त होती है। दुनिया में सबसे पहले सेज का मॉडल चीन में विकसित हुआ था। भारत सरकार ने 2001 में चीन की तर्ज पर सेज मॉडल लागू किया। 2005 में सेज एक्ट पारित किया गया। सीतापुरा (जयपुर) में देश का **पहला Export Promoting Investment Park** विकसित किया गया।

- **विशेष आर्थिक क्षेत्र**— निर्यातों को बढ़ावा देने हेतु 13 मार्च, 2003 को राज्य की विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति जारी की गई जिसके तहत राज्य में 5 विशेष आर्थिक क्षेत्र क्रियाशील किए जा चुके हैं।

अ. रीको द्वारा दो विशेष आर्थिक क्षेत्र जेम्स एण्ड ज्वैलरी प्रथम एवं द्वितीय, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र (अब बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र), जयपुर में स्थापित किए गए हैं।

ब. महिन्द्रा ग्रुप और रीको के संयुक्त उद्यम महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड ने जयपुर में एक बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की है।

❖ राज्य में निम्न विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित हैं :-

डवलपर	स्थान	सेज का प्रकार
(A) अधिसूचित व क्रियाशील सेज		
रीको (सरकारी क्षेत्र)	सीतापुरा, जयपुर (सेज-प्रथम)	जैम्स एण्ड ज्वैलरी
रीको (सरकारी क्षेत्र)	सीतापुरा, जयपुर (सेज-द्वितीय)	जैम्स एण्ड ज्वैलरी
महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी लि.	जयपुर, जयपुर	आईटी/आईटीईएस
महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी लि.	जयपुर	इंजीनियरिंग व संबंधित उद्योग
महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी लि.		हस्तशिल्प
(B) अधिसूचित सेज		
सोमानी वर्स्टेड लिमिटेड	खुशखेड़ा, भिवाड़ी	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर/आईटीईएस
वाटिका जयपुर सेज डवलपर्स लिमिटेड	जयपुर	आईटी/आईटीईएस
आर.एन.बी. इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	पूगल रोड, बीकानेर	टेक्सटाइल
जेनपैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, (जयपुर) प्रा. लिमिटेड	जयपुर	आईटी/आईटीईएस
महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड	जयपुर	जैम्स एण्ड ज्वैलरी
महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड	जयपुर	आईटी/आईटीईएस
(C) औपचारिक स्वीकृति		
मानसरोवर औद्योगिक विकास निगम	जोधपुर	आई.टी

❖ **बहुराष्ट्रीय कम्पनियों व अन्य निगमित संस्थाओं द्वारा राजस्थान में निवेश :**

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	स्थान
1.	अशोका लीलेण्ड लि.	ट्रक्स एवं बसेज	अलवर
2.	बैस्टैक्स एम.एम. इण्डिया प्रा. लि.	ऑटो कम्पोनेट्स	टपूकड़ा (खैरथल-तिजारा)
3.	क्यू बी.ओ. एस. प्रोडक्ट लि.	लैडर शूज एण्ड लैडर फैशन एसेसरीज	नीमराणा (कोटपूली-बहरोड़)
4.	मंगला इस्पात लि.	TMT बार	बगरू (विस्तार) फेज-द्वितीय, जयपुर
5.	मिक्सुई प्राइम एडवांस्ड कम्पोजिटस प्रा.लि.	पॉलीप्रोपाएलेन कम्पाउण्डिंग यूनिट	नीमराणा (कोटपूली-बहरोड़)
6.	निशिन ब्रेक इण्डिया प्रा. लि.	ब्रेक कम्पोनेन्ट्स एण्ड एसेम्बलीज	नीमराणा (कोटपूली-बहरोड़)
7.	ओरियन्ट क्राफ्ट लि.	गारमेंट यूनिट	पथरेड़ी
8.	पैरामाउण्ट कम्प्यूनिकेशन लि.	वायरस एण्ड केबल्स	खुशखेड़ा (खैरथल-तिजारा)
9.	रोजएनबर्गर शिल्पी केबल टेक्नोलोजिस लि.	टेली-केबल्स	चौपानगी
10.	संगम इण्डिया लि.	टैक्सटाइल्स शिपिंग, वीविंग एण्ड प्रोसेसिंग	विलेज सारेरी (भिलवाड़ा)
11.	सेवाराम एग्रोटैक प्रा. लि.	कोल्ड स्टोरेज	रानपुर (कोटा)
12.	एयरट्रैक्स पॉलीमर्स प्रा. लि.	वूवन फेब्रिक्स	चौपानगी
13.	हैवल्स इण्डिया लि.	स्विच गियर्स लाइटिंग फिक्चर्स	नीमराणा (कोटपूली-बहरोड़)
14.	लॉफाग्री बोरल जिप्सम इण्डिया प्रा.लि.	जिप्सम प्लास्ट बोर्ड्स	खुशखेड़ा (खैरथल-तिजारा)
15.	ओत्सुक कैमिकल्स इंडिया लि.	फर्मास्टिकल इन्टरमेडिएट्स	केशवाना
16.	श्री सीमेन्ट लि.	किलिंकर ग्राइंडिंग	खुशखेड़ा (खैरथल-तिजारा)
17.	श्री वीरजी बैट्री प्रा.लि.	बैट्री	सिरोही
18.	साउथ एशिया ब्रेवरीज प्रा. लि.	ब्रेवरीज	एम.आई.ए. अलवर
19.	लार्ड चार्लो अल्काली लि.	कॉस्टिक सोडा	एम.आई.ए. अलवर
20.	अरिहंत पलोर मिल्स प्रा. लि.	फूड प्रोसेसिंग (स्नैक्स)	नीमराणा (कोटपूली-बहरोड़)
21.	कॉर्ड्स केबल इण्डस्ट्रीज लि.	एच.टी.केबल्स	पथरेड़ी
22.	जेम्स केब इण्डस्ट्रीज लि.	एच.टी. केबल्स	पथरेड़ी
23.	जयपुर टेक्सवीविंग पार्क लि.	टैक्सटाइल्स पार्क	किशनगढ़
24.	विक्टर केबल्स कॉरपोरेशन	पावर केबल्स	चौपानगी
25.	सन ऑप्टिकल मास्टरिंग प्रा. लि.	रिकार्डेड सीडी/डीवीडी आर स्टाम्पर (मास्टर)	I.I.D. कालडवास, उदयपुर
26.	कॉम्पेक्ट डिस्क इण्डिया लि. (लेजर इन्फोमीडिया)	एनीमेशन एण्ड गेमिंग स्टूडियो	सीतापुरा (जयपुर ग्रामीण)
27.	डेकिन एयरा कंडीशनिंग इंडिया प्रा. लि.	एयर कंडीनिंग	नीमराणा (कोटपूली-बहरोड़)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	स्थान
28.	इमासन मैनुफैक्चरिंग इण्डिया प्रा. लि.	गाड़ी व परिवहन मशीनों के लिए सीट डिवाइसेज	नीमराना
29.	जयपुर इंटीग्रेटेड टैक्सक्राफ्ट पार्क प्रा. लि.	टैक्सटाइल पार्क	बगरू विस्तार द्वितीय (जयपुर)
30.	किशनगढ़ हाई-टैक टैक्सटाइल पार्क लि.	टैक्सटाइल पार्क	किशनगढ़
31.	इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	कार्पेट क्लथ एण्ड ऑटोकार्पेट	पथरेड़ी
32.	तेन्जीकू होटल प्रा. लि.	जापानी कॉमन फैंसीलिटीज सेन्टर	नीमराना
33.	सुन्दरम क्लेटन लिमिटेड	एल्यूमिनियम डाई-कास्टिंग (गाड़ी व गैर-गाड़ी उद्योग के लिए)	पथरेड़ी
34.	नेक्स्ट जेन टैक्सटाइल पार्क प्रा. लि.	इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क	पाली
35.	सरिता गंगा फार्मस प्रा. लि.	इन्स्टीट्यूट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी	नीमराना
36.	श्री राम पिस्टन्स एण्ड रिंग्स लि.	ऑटो कम्पोनेंट्स	पथरेड़ी
37.	सोना ऑटो एग्री ट्रेक्टर्स एण्ड कम्पोनेंट्स प्रा. लि.	ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स एण्ड ट्रेक्टर्स	पथरेड़ी
38.	इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	स्पेशल परपज इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक मशीनें (एल्यूमिनियम व इस्पात क्षेत्र, प्रदूषण नियंत्रण स्पिलेज हैंडलिंग उपकरण के लिए)	पथरेड़ी
39.	अक्षय अपरेल्स	रेडीमेड गारमेन्ट्स	नीमराना
40.	Erikei Castalliry Limited	ऑटो कम्पोनेंट्स	पथरेड़ी
41.	J.B.M. ऑटो लि.	स्टीलमेटल स्टाम्पिंग एण्ड असेम्बलीज	पथरेड़ी
42.	मोथरसन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज एण्ड इन्जीनियरिंग	प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स	पथरेड़ी
43.	मोथरसन सुमी सिस्टम्स लि.	वायरिंग हार्नेस	पथरेड़ी
44.	पिथरे लाल एण्ड सन्स (EP) लि.	बेक हो लोडर्स, मोबाइल क्रेन्स, ट्रक एण्ड माउंटेड क्रेन्स	पथरेड़ी
45.	पुंज सॉफ्टटेक प्रा. लि.	I.T. & ITES प्रोजेक्ट	कैंट कल्वार
46.	सन्थार टेक्नोलॉजीज लि.	ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स	पथरेड़ी
47.	K.E.I. इंडस्ट्रीज	वायर्स एण्ड केबल्स	पथरेड़ी
48.	सुप्रीम हाई-फाइडेलिटी प्रा. लि.	कार ऑडियो एण्ड एलाइड इन्फोटेनमर प्रोडक्ट्स	पथरेड़ी
49.	फैशन सूटिंग्स प्रा. लि.	वीविंग एण्ड प्रोसेसिंग	भीलवाड़ा
50.	जापान टेलीकॉम इण्डिया प्रा. लि.	सिस्टम इन्टीग्रेशन	नीमराना
51.	उमा प्रिंसीजन लि.	प्रिंसीजन एसेम्बलीज सिस्टम्स एण्ड मशीन पार्ट्स	पथरेड़ी

नोट—उपरोक्त संस्थओं में से संगम इण्डिया लि. (भीलवाड़ा) और नेक्स्ट जेन टैक्सटाइल पार्क लि. (पाली) ये दोनों संस्थाएँ रीको क्षेत्र में नहीं है।

3. राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसीको)

- ◆ **स्थापना**—3 जून, 1961 को कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत सीमित दायित्व वाली कम्पनी के रूप में स्थापना हुई।
- ◆ **मुख्य उद्देश्य**—लघु औद्योगिक व हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता व प्रोत्साहन देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना व उनकी उत्पादित वस्तुओं को विपणन सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- ◆ **मुख्य कार्य**—राजसीको निम्न महत्वपूर्ण कार्यों के द्वारा राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रहा है। लघु उद्योग इकाइयों को कच्चा माल, साख, तकनीक व प्रबंध सहायता, वस्तुओं के विपणन व उद्यमियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। बड़े पैमाने व लघु पैमाने की इकाइयों में आवश्यक समन्वय व तालमेल स्थापित करना।
- प्रदर्शनियों, सेमीनारों, व्यापार मेलों व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। निगम ट्राइबल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित कर रहा है।
- **राजसीको कच्चे माल** — (लौह—इस्पात, कोयला, IPCL पोलिमर प्रोडक्ट्स, टिटैनियम डाई ऑक्साइड आदि) का स्वयं क्रयकर रियायतों दरों पर लघु उद्योग इकाइयों को उपलब्ध कराता है। यह दस्तकारों एवं शिल्पकारों को उनके उत्पादित माल की विपणन सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु महत्वपूर्ण स्थानों—जयपुर, आमेर, दिल्ली, कोलकाता, उदयपुर, माउण्ट आबू, श्रीनगर व होटल ऑबेराय मुम्बई में राजस्थली एम्पोरियम संचालित करता है।
- राज्य में गलीचों के उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु राजसीको गलीचा प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करता है।
- **हस्तशिल्प एवं पर्यटन कॉम्प्लैक्स, जयपुर**—राजस्थान के हस्तशिल्प को बढ़ावा देने व भ्रमण हेतु राजस्थान आने वाले स्वदेशी/विदेशी पर्यटकों को एक ही छत के नीचे हस्तशिल्प का सामान उपलब्ध कराने हेतु अजमेरी गेट, जयपुर पर एक वृहद हस्तशिल्प व पर्यटन कॉम्प्लैक्स का निर्माण किया गया है। यहाँ मार्च, 2007 से राजस्थली शोरूम संचालित है।
- **बुड सीजनिंग प्लांट एवं कॉमन सर्विस फैसिलिटी सेन्टर, जोधपुर**—लकड़ी पर आधारित उद्योग में गुणवत्ता, किस्म नियंत्रण तथा आधुनिक मशीन एवं औजारों के उपयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से जोधपुर में सौर—ऊर्जा पर आधारित बुड सीजनिंग प्लांट तथा कॉमन फैसिलिटी सेन्टर की स्थापना 1999 में की गई थी। अब इसे 'नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर बुड टेक्नालॉजी एवं डिजाइन' के रूप में प्रारम्भ किया गया है।

- **निगम द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र**—राज्य की लुप्त हो रही हस्तकलाओं के पुनरुत्थान हेतु निगम द्वारा अग्र चार प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं—
- ◆ फड़ चित्रकला प्रशिक्षण केन्द्र—शाहपुरा।
- ◆ **कोटा**—बूँदी चित्रकला शैली प्रशिक्षण केन्द्र—कोटा।
- ◆ **मारवाड़**—जोधपुर चित्रकला शैली प्रशिक्षण केन्द्र—जोधपुर।
- ◆ लकड़ी तथा ऊँट की खाल पर सुनहरी नक्काशी व चित्रकला उस्ताकला प्रशिक्षण केन्द्र—बीकानेर।

❖ **राजसीको द्वारा संचालित प्रमुख संस्थाएँ :**

- **राजस्थली इम्पोर्टियम**—यह राजसीको का शोरूम है। राजसीको अपने केन्द्रीय भंडार के माध्यम से हस्तशिल्पियों से सीधे ही हस्तशिल्प वस्तुएँ खरीदता है और उन्हें जयपुर, दिल्ली, उदयपुर, माउण्ट आबू, आगरा, मुम्बई व कोलकाता शहरों में स्थित राजस्थली विक्रय केन्द्र के माध्यम से विक्रय करता है।
- **एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स**—सांगानेर, जयपुर में राजसीको द्वारा स्थापित। विदेशों में हवाई मार्ग से माल के आयात—निर्यात के लिए सांगानेर एयरपोर्ट पर इसे स्थापित किया गया है। बजट 2023—24 में राजसीको के माध्यम से उदयपुर में एयर कार्गो की स्थापना की घोषणा एवं जयपुर में एयर कार्गो के नवीन परिसर के निर्माण की घोषणा की गई है।
- **इनलैण्ड कंटेनर डिपो**—(ICD शुष्क बंदरगाह) राजस्थान में कुल 8 कंटेनर डिपो संचालित है। जिनमें से 4 इनलैण्ड कंटेनर डिपो राजसीको द्वारा तथा 4 इनलैण्ड कंटेनर डिपो CONCOR—Container Corporation of India (भारतीय कंटेनर लिमिटेड) द्वारा संचालित है।

● **राजसीको द्वारा संचालित—कंटेनर डिपो—4**

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. मानसरोवर, जयपुर (1989) | 2. भिवाड़ी, खैरथल—तिजारा (1999) |
| 3. बासनी, जोधपुर (1995) | 4. भीलवाड़ा (2000) |

❖ **निवेश संवर्द्धन ब्यूरो (बी.आई.पी.) :**

- ❖ निवेश संवर्द्धन ब्यूरो, राजस्थान की निवेश संवर्द्धन एजेन्सी है, जो राज्य में बड़े निवेश प्रस्तावों की सुविधा प्रदान करती है। वर्ष 1991 में अपनी स्थापना के समय से ही, सरकार एवं निवेशकों के मध्य मुद्दों के त्वरित मंजूरी एवं निवारण हेतु बी.आई.पी. एक इन्टरफेस की तरह कार्य कर रहा है। बी.आई.

पी. माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में गठित बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य सर्वाधिकार प्राप्त समिति (स्टेट एम्पावर्ड कमेटी) के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है। स्टेट एम्पावर्ड कमेटी अनुमति एवं विशेषीकृत पैकेज हेतु प्राप्त आवेदनों की जाँच करती है और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को सिफारिश प्रस्तुत – करती है। स्टेट एम्पावर्ड कमेटी द्वारा अनुशंसित परियोजनाओं को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट स्वीकृति प्रदान करता है।

4. ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण—(RUDA-Rural Non Agriculture Development Agency):

- राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा) की स्थापना नवम्बर, 1995 में एक स्वतंत्र अभिकरण के रूप में राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में की गई थी। रूडा, स्थायी आजीविका के व्यावहारिक मार्ग के रूप में दस्तकार परिवारों को स्वरोजगार प्रदान करने के अवसर को बढ़ावा देने के लिए उप क्षेत्रीय, एकीकृत एवं क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। राज्य के दस्तकारों के विकास के लिए रूडा विभिन्न सुधारों को लागू करता है, जिसमें कौशल वृद्धि, तकनीकी विकास एवं प्रसार, डिजाइन एवं उत्पाद विकास, मेलों और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन शामिल है। इन गतिविधियों के द्वारा बड़ी संख्या में दस्तकारों, बुनकरों, कुम्भकारों, मूर्तिकारों को स्थायी रोजगार प्रदान किया जा रहा है।
- रूडा के इन क्रियाकलापों का प्रभाव राजस्थान जैसे सूखा प्रभावी राज्य में ऊन, चर्म, लघु खनिजों जैसे मुख्य उपक्षेत्रों में कार्यरत दस्तकारों के लिए बढी हुई क्षमताओं के साथ स्वरोजगार के माध्यम से स्थायी आय के वैकल्पिक मार्ग के रूप में देखा जा सकता है। यह भारत में गैर कृषि क्षेत्रों में कार्य करने वाला एक अनूठा संगठन है। राज्य आयोजना मद रूडा की गतिविधियों के संचालन के लिए वित्त का मुख्य स्रोत है।

❖ भौगोलिक संकेतक (जी.आई.) पंजीकरण :

- रूडा ने अपने बौद्धिक सम्पदा अधिकार पहल के तहत पोकरण पोटरी, ब्ल्यू पोटरी, कोटा डोरिया तथा सांगानेर एवं बगरू हैण्ड ब्लॉक प्रिन्टिंग जैसे शिल्प के लिए जी.आई. (भौगोलिक संकेतक) पंजीकरण प्राप्त किया है।
- रूडा प्रमुख रूप से तीन उप क्षेत्रों के अन्तर्गत अपनी गतिविधियां संचालित करता है:—

☞ चमड़ा

☞ ऊन

☞ वस्त्र

☞ लघु खनिज

◆ **कार्य :**

1. ग्रामीण दस्तकारों को संगठित व प्रशिक्षित करना।
2. ग्रामीण हस्तशिल्प का तकनीकी उत्थान करना।
3. ग्रामीण उत्पादों के विपणन हेतु विदेशों में प्रचार हेतु नेटवर्क स्थापित।
4. ग्रामीण लघु उद्योगों के विकास हेतु बैंक ऋण व अन्य लाभप्रद व्यवस्था सुनिश्चित करना।
5. ग्रामीण लघु उद्यम उत्पादों का विकास तथा आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइनों का विकास।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि नहीं करते, उनको छोटे-छोटे समूह में निश्चित अवधि में स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षित करना।
7. राज्य के दस्तकारों की कला के संरक्षण एवं दस्तकारों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने एवं विपणन के लिये नये बाजार उपलब्ध कराने हेतु रुडा द्वारा कोटा-डोरिया, बगरू हैण्ड ब्लॉक प्रिंट, कोटजेवर ब्लू पोटरी, सांगानेर प्रिंट, एवं पोंकरण पोटरी को भौगोलिक उप-दर्शन में पंजीकृत कराया गया।

❖ **RUDA द्वारा संचालित विशेष परियोजना :**

1. शिल्प ग्राम-बाड़मेर, सवाईमाधोपुर
2. बुनाई केन्द्र-लेटा (जालौर), मांगरोल (बाराँ), सालावास (जोधपुर)
3. हस्तशिल्प गाँव-कैथून (कोटा-डोरिया साड़ी) नायला (जयपुर)
4. तालछापर हस्तशिल्प उत्पाद परियोजना-संचालित 2007।
5. लोकरंग क्राफ्ट बाजार मेला-2021-जवाहर कला केन्द्र, जयपुर।

❖ **राष्ट्रीय क्राफ्ट बाजार मेला-2021 :**

- जवाहर कला केन्द्र - जयपुर।
- बगरू हैण्ड ब्लॉक प्रिंट कलस्टर प्रशिक्षण - जयपुर।
- लक्ष्मणगढ़ कशीदाकारी प्रिंट कलस्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम - सीकर
- दरी बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम लवाण - दौसा।
- गोटा पत्ती डिजाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम नायला - जयपुर।
- चर्म मौजड़ी/जूती दस्तकारों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला - भीनमाल-जालौर।

5. राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ :

- 26 अगस्त, 1957 को शीर्ष सहकारी संस्था के रूप में राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर का गठन किया गया है। संघ के मूल उद्देश्य निम्न प्रकार हैं—
1. प्राथमिक सदस्य सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित कपड़े के विपणन की व्यवस्था करना।
 2. आधुनिक तकनीक एवं डिजाइन का बुनकरों को प्रशिक्षण देना एवं उच्च मूल्य के उत्पादों का उत्पादन करवाना
 3. प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों का बुनकर बाहुल्य क्षेत्र में गठन करवाना तथा उनके विकास हेतु योजनाएँ तैयार करना।

6. राजस्थान राज्य हाथकरघा निगम लिमिटेड :

- **स्थापना**—मार्च 1984 राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कम्पनीज एक्ट 1956 के अन्तर्गत मार्च, 1984 में की गई थी। निगम के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं—
1. राजस्थान प्रदेश में हाथकरघा उद्योग की उन्नति, सहायता, वृद्धि एवं विकास हेतु कार्य करना।
 2. हाथकरघा उद्योग को बढ़ाने के लिए उत्पादन, आपूर्ति, प्रोसेसिंग, भण्डारण वितरण, बिक्री एवं अन्य आवश्यक कार्यों को हाथ में लेकर कार्य करना।
 3. प्रदेश एवं देश में हाथकरघा वस्त्रों की थोक, खुदरा एवं कमीशन आधार पर बिक्री के लिए आवश्यक कदम उठाना।
 4. हाथकरघा उद्योग से संबंधित सभी विषयों जैसे— कताई, बुनाई, रंगाई, प्रोसेसिंग, पैटर्न, डिजाइन, कशीदाकारी, छपाई, विपणन, लेखा एवं प्रबन्धन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिलाना और क्षेत्र की उन्नति हेतु सहायता करना।

7. राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड :

- राजस्थान में सर्वप्रथम चरखा संघ की स्थापना 1927 में जयपुर (सांगानेर) में की गई। राजस्थान में खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन राज्य विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अप्रैल, 1955 में किया गया। इस मुख्यालय जयपुर में स्थित है।

◆ **बोर्ड के उद्देश्य एवं कार्य :**

1. खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास की योजना बनाना।
2. कार्यक्रम संगठित करना और उनकी क्रियान्विती करना।
3. कारीगरों को प्रशिक्षण देना।
4. कच्चे माल की व्यवस्था तथा तैयार माल का विपणन करना।

◆ **प्रमुख खादी व ग्रामोद्योग केन्द्र :**

1. ग्राम्या खादी हैण्डिक्राफ्ट एम्पोरियम, पांच बत्ती, जयपुर।
2. संकुल खादी हैण्डिक्राफ्ट एम्पोरियम, मानसरोवर, जयपुर।
3. ऊन अनुभाग, बाड़मेर।
4. ऊनी उत्पत्ति केन्द्र, बीकानेर।
5. प्रशिक्षण केन्द्र—1. पुष्कर (अजमेर) 2. सांगानेर (जयपुर), 3. माउण्ट आबू (सिरोही)।

राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के प्रयास/योजनाएँ

1. **राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022**—मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 13 नवम्बर, 2022 को डिजिफेस्ट के समापन समारोह में राजस्थान स्टार्टअप नीति-2022 का विमोचन किया गया।
2. **मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना**—(बजट घोषणा 2023-24) पंजीकृत श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स के परिवारों के 25-60 वर्ष के सदस्यों को अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उनकी दैनिक मजदूरी समाप्त होने पर इस योजना के अंतर्गत बिना किसी प्रार्थना पत्र के Auto DBT के माध्यम से 7 दिवस तक 200 रुपये प्रतिदिन सहायता दिया जाना प्रस्तावित है।
3. **विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना**—बजट 2023-24 में अल्प आय वर्ग की महिलाओं, विभिन्न वंचित वर्ग, हस्तशिल्पी, केशकला व माटी कला कारीगर एवं घुमंतू आदि को स्वरोजगार के लिए इस योजना को शुरू किया जाना प्रस्तावित है। इसमें आवश्यक किट/सिलाई मशीन इत्यादि क्रय करने के लिए 5-5 हजार रुपए का अनुदान किया जाएगा। 30 हजार हस्तशिल्पी और आर्टिजन्स को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए 10-10 हजार की सहायता दी जाएगी।

4. **राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड** – प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप तथा आधुनिक तकनीक आधारित उद्योगों को स्थापित करने के लिए Rajasthan Venture Capital Fund के तहत 250 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा बजट 2023–24 में की गई है साथ ही iStart fund के माध्यम से स्टार्टअप्स को सरकार की ओर से उपलब्ध कराये जाने वाली matching share की सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।
5. **मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना**—मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना को दिनांक 19 मई, 2023 को अधिसूचित कर दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक लागू की गई थी योजना को आदेश दिनांक 15 मार्च 2024 द्वारा 31 जुलाई, 2024 तक बढ़ा दिया गया। योजनान्तर्गत राज्य के 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग न्यूनतम स्नातक शिक्षित युवा उद्यमियों को अपना नवीन उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) प्रारम्भ करने के लिए बैंक द्वारा उपलब्ध करवाये गये 25.00 लाख तक के ऋण पर 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा 25.00 लाख से अधिक एवं 1 करोड़ तक की ऋण राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है।
6. **मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना**—राज्य में स्वरोजगार के आवर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना दिनांक 11 अक्टूबर 22 को अधिसूचित की गई। इस योजना में आवेदन की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इस योजना के तहत आवेदक को वाहन की ऑन-रोड कीमत का 10 प्रतिशत अथवा 60,000 रु. (जो भी कम हो) का अनुदान राज्य सरकार द्वारा तथा समकक्ष अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कम्पनी द्वारा दिया जावेगा। इस योजना हेतु 15 लाख रुपये तक की ऑन रोड कीमत वाले वाणिज्यिक वाहन पात्र है।
7. **राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 2022 :** – राज्य में तीव्र, स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को और अधिक व्यापक बनाते हुए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2022 को 07 अक्टूबर, 2022 से लागू किया गया है।

◆ **प्रमुख उद्देश्य :**

- विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से विकास। संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास। वर्ष 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन
- हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण आदि जैसे नवीन क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन। पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करना।

8. **राजस्थान एकीकृत कलस्टर विकास योजना**—(बजट 2023–24) इस योजना में आगामी वर्ष में दौसा व टोंक में चमड़े के उत्पाद, चुरू व बीकानेर में बन्धेज तथा बाड़मेर में कसीदाकारी के कलस्टर सहित अन्य चयनित कलस्टर में आधारभूत संरचना एवं क्षमता विकास के कार्य किए जाएंगे।
9. **राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022**—राज्य सरकार ने 17 सितम्बर, 2022 को प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की है। यह नीति 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में 'एक जिला, एक उत्पाद योजना' के अन्तर्गत कम-से-कम एक हस्तशिल्प उत्पाद को चिन्हित कर प्रोत्साहित किया जाएगा। इस नीति के अनुसार प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह में राष्ट्रीय स्तर के 'हस्तशिल्प सप्ताह' का आयोजन होगा जिसमें हस्तशिल्पियों को पुरस्कृत किया जायेगा। नीति के प्रमुख उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पियों के उत्पादों को निर्यात योग्य बनाना एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना एवं निर्यात में राज्य की भागीदारी बढ़ाना, विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना, हस्तशिल्प के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में 50 हजार नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है।
10. **डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022**—राज्य के गैर कृषि क्षेत्रों (विनिर्माण, सेवाएँ एवं व्यापार) के विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022: 8 सितम्बर, 2022 को अधिसूचित की गयी है। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित आवेदक उद्यमियों को 25 लाख रुपये से कम के ऋण पर 9 प्रतिशत, 25 लाख रुपये से 5 करोड़ तक के ऋण पर 7 प्रतिशत, 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है एवं परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख (जो भी कम हो) की मार्जिन मनी अनुदान राशि देय होगी। यह योजना 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी।
- योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से सम्बन्धित आवेदक उद्यमियों को 25 लाख रु. से कम के ऋण पर 9 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड़ रु. तक के ऋण पर 7 प्रतिशत, 5 करोड़ रु. से 10 करोड़ रु. तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रु. (जो भी कम हो) की मार्जिन मनी अनुदान राशि देय होगी।

11. **एक जिला एक उत्पाद**—इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जिले से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना और प्रत्येक जिले को एक संभावित निर्यात केन्द्र के रूप में बदलना है। राज्य के समस्त जिलों द्वारा अपने जिले से सम्बन्धित निर्यात क्षमता वाले उत्पादों को सुनिश्चित कर दिया है एक जिला एक उत्पाद के अन्तर्गत चिन्हित उत्पादों का जिलेवार विवरण तालिका में दर्शाया गया है।
12. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी)**—इस योजना का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक सेवा एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है।
13. **औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर**— औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा लोगों को औद्योगिक इकाई स्थापित करने से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर आयोजित किए गए।
14. **कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर)**— कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा – 135 के अनुसार, ऐसी कम्पनियाँ, जिनकी किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान कुल सम्पत्ति 500 करोड़ या अधिक हो अथवा टर्न ओवर 1,000 करोड़ या अधिक हो अथवा शुद्ध लाभ 5 करोड़ या अधिक हो तो उन्हें सी.एस.आर के तहत उनके विगत 3 वित्तीय वर्षों में शुद्ध लाभ के औसत के 2 प्रतिशत को अनुसूची -VII में वर्णित गतिविधियों पर व्यय किए जाने का प्रावधान है।
15. **सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम** — एक खिड़की अधिनियम समयबद्ध विभिन्न लाइसेंस, अनुमति और अनुमोदन के उद्देश्य से लाया गया है। सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के अंतर्गत मार्च, 2024 तक, 16 विभागों की 135 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
16. **वन स्टॉप शॉप** — मौजूदा सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को और अधिक सुदृढ़ करने एवं वृहद् निवेश प्रस्तावों को अधिक प्रभावी रूप से सुविधा प्रदान करने तथा अपेक्षित अनुमोदन/स्वीकृतियाँ एवं अनुमतियाँ त्वरित गति से एक ही स्थान पर समयबद्ध तरीके से प्रदान करने के उद्देश्य से “वन स्टॉप शॉप” सुविधा की स्थापना निवेश संवर्द्धन ब्यूरो में की गई है वन स्टॉप शॉप प्रणाली के अन्तर्गत क्लीयरेंस प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल “राज निवेश” कार्यरत है।
17. **राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेबलिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम, 2019** — राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की व्यवधान रहित स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, 17 जुलाई, 2019 को “राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेबलिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम-2019” लागू किया गया। राजस्थान

सरकार ने इस अधिनियम के निष्पादन हेतु 12 जून, 2019 को एक वेब पोर्टल <https://rajudyogmitra-rajasthan-gov-in/> भी लॉन्च किया, जिस पर आवेदन दर्ज किए जाते हैं। इसमें एमएसएमई इकाई को, इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से 'डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट' नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिस पर एक 'पावती प्रमाण-पत्र' जारी किया जाता है, पावती प्रमाण पत्र जारी होने से लेकर 5 साल तक आवेदक को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट दी जाएगी।

18. **इनवेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम :** वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निवेश संवर्द्धन ब्यूरो ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस-2023 (11-14 दिसम्बर 2023) दिल्ली, वाइब्रेन्ट गुजरात (10-12 जनवरी, 2024) गाँधीनगर, गुजरात, तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर मीट (07-09 जनवरी, 2024) तमिलनाडु, भारत मोबिलिटी समिट (01-03 फरवरी, 2024) दिल्ली, भारत टैक्स सम्मिट (26-29 फरवरी, 2024) दिल्ली, लॉजिस्टिक सम्मिट (29 फरवरी, 2024) जयपुर आदि आयोजनों में भाग लिया है। इन मंचों पर भागीदारी का उद्देश्य संभावित निवेशकों, प्रमुख व्यवसायों के साथ संवाद करना, राजस्थान को एक आदर्श निवेश स्थान के रूप में आलेखित करना है।
- 19 **वैस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर :** भारत सरकार द्वारा दादरी (उत्तर प्रदेश) और जवाहर लाल नेहरू पोर्ट (मुम्बई) के बीच एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है जिसकी कुल लम्बाई 1,504 किमी. है। कॉरिडोर का लगभग 38 प्रतिशत भाग राजस्थान से होकर गुजरता है।
20. **दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर :** उक्त फ्रेट कॉरिडोर के दोनों तरफ लगभग 150 कि.मी. की पट्टी को दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाना है। प्रथम चरण में राजस्थान राज्य में 2 नोड-खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र एवं जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। इन दोनों नोड्स के विकास हेतु एक संयुक्त एसपीवी (स्पेशल पर्पज व्हीकल) कम्पनी राजस्थान इण्डस्ट्रीयल -डवलपमेंट कारपोरेशन (आरआईडीसीओ) की स्थापना दिनांक 15 मार्च, 2022 को की गई है।
21. **खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र :** खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र लगभग 165 वर्ग किमी. का क्षेत्र है और इसमें तत्कालीन अलवर जिले के 43 गाँव सम्मिलित हैं। इसके प्रथम चरण में 532.30 हेक्टेयर भूमि एवं एप्रोच रोड़ हेतु आवश्यक 26.65 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।

22. जोधपुर-पाली- मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र : जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को पाली जिले के 9 गाँव सम्मिलित करते हुए लगभग 154 वर्ग किमी. क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को 12 अक्टूबर, 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र (एस.आई.आर.) के रूप में अधिसूचित किया गया है। रीको को जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में 12 अक्टूबर, 2020 को अधिसूचना जारी कर नामित किया गया। परियोजना क्षेत्र में आने वाली निजी खातेदारी भूमि की अवाप्ति हेतु सामाजिक प्रभाव आकलन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

23. राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम-2016 : राज्यभर एवं डी.एम.आई.सी. क्षेत्र में विशेष निवेश क्षेत्रों के नियोजित एवं व्यवस्थित विकास हेतु “राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम-2016” के नाम से एक विशेष कानून 26 अप्रैल, 2016 को अधिसूचित किया गया। राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र के विकास हेतु प्रवर्तन एवं निगरानी बाबत एक राज्य स्तरीय “राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड” का गठन किया गया है। अलवर जिले की बहरोड़, मुण्डावर, नीमराना, कोटकासिम एवं तिजारा तहसीलों के 363 गाँवों को सम्मिलित करते हुए एक विशेष निवेश क्षेत्र “भिवाड़ी इंटिग्रेटेड टाउनशिप (बी.आई.टी)” के नाम से घोषित किया गया है तथा 22 फरवरी, 2018 की अधिसूचना द्वारा एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण “भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण” (बी.आई.डी.ए.) का गठन किया गया है। 28 दिसम्बर, 2020 को जारी एक अधिसूचना के द्वारा, कुल 42 ग्रामों (अब 43 ग्राम) को पृथक कर खुशखेड़ा-भिवाड़ी- नीमराना निवेश क्षेत्र को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसके लिए रीको क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण होगा। भिवाड़ी इंटिग्रेटेड टाउनशिप के शेष 321 ग्रामों के लिए बी.आई.डी.ए. ही क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा है।

❖ **रिसर्जेंट राजस्थान सम्मेलन (Resurgent Rajasthan Summit) :**

- राजस्थान में निजी से निवेशकों को आकर्षित करने तथा उन्हें राज्य में निवेश करने हेतु तैयार करने के लिए ‘रिसर्जेंट राजस्थान साझेदारी सम्मेलन-2015’ (Resurgent Rajasthan Partnership Summit-2015) का आयोजन 19-20 नवम्बर 2015 को जयपुर एकजीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, सीतापुरा, जयपुर में किया गया। इस सम्मेलन की नोडल एजेंसी निवेश संवर्द्धन ब्यूरो (BIP), राजस्थान था। इसका राष्ट्रीय साझेदार (National Partner) भारतीय उद्योग संघ (CIT-Confederation of Indian Industry), ज्ञान साझेदार (Knowledge Partner)-EY व मीडिया पार्टनर-एडेलमेन (Edelman) था। रिसर्जेंट राजस्थान सम्मेलन में इटली, सिंगापुर, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया व जापान ग्लोबल पार्टनर थे।
- ई-गवर्नेंस व आईटी नीति, 2015**—यह पॉलिसी अक्टूबर, 2015 में जारी की गई थी। इसे मुख्यमंत्री ने 5 नवम्बर, 2015 को लाँच किया।

❖ **राइजिंग राजस्थान (Rising Rajasthan) :**

- राजस्थान के आर्थिक विकास को नई ऊंचाई देने और राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार आगामी 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन किया। राइजिंग राजस्थान, राज्य के अभूतपूर्व, समावेशी और सतत आर्थिक और सामाजिक विकास तथा लोगों के कल्याण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की दिशा में राज्य का मिशन है। राजस्थान सरकार के तत्वाधान में 'राइजिंग राजस्थान' इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन उद्योग विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (बीआईपी) और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम (रीको) द्वारा किया जा रहा है। इसका नोडल विभाग बीआईपी है। साथ ही साथ, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) निवेश शिखर सम्मेलन का समिट इंडस्ट्री पार्टनर है और इसके आयोजन में मदद कर रहा है। यह आउटरीच भू- और क्षेत्र-केंद्रित निवेशक बैठकों की एक श्रृंखला में सामने आई, जिसका समापन 9, 10 और 11 दिसंबर 2024 को जयपुर के सीतापुरा में जयपुर प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र (जेईसीसी) में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन में हुआ। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में विशिष्ट क्षेत्रों, निवेश करने वाले देशों और हितधारकों पर केंद्रित अच्छी तरह से डिजाइन किए गए सत्र शामिल थे।

इस त्रि-दिवसीय मेगा समिट का उद्देश्य देश-विदेश की बड़ी-छोटी कंपनियों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राज्य में आकर काम करने के लिए आकर्षित करना, प्रदेश में विभिन्न तरह के उद्योग-धंधे लगाने में मदद करना और सुविधाएं मुहैया कराना है। इस ग्लोबल समिट के दौरान कृषि, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और कौशल, ऑटो और ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल्स), इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल और पेट्रो-केमिकल, पर्यटन, स्टार्टअप, खनन और आईटी सहित विभिन्न विषयों पर विशेष सत्रों का आयोजन होगा।

❖ **प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव :**

- राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के हिस्से के रूप में, 10 दिसंबर, 2024 को जयपुर में प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इस समर्पित कॉन्क्लेव का उद्देश्य दुनिया भर से राजस्थानी प्रवासियों को एक साथ लाना, समुदाय और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना था। राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानियों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, जो राज्य के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हैं। प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव के माध्यम से, सरकार वैश्विक राजस्थानी समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहती है, जो राज्य की प्रगति में

सक्रिय रूप से योगदान करते हुए निवेश और परोपकारी अवसरों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करती है। उपस्थित लोगों को रणनीतिक क्षेत्रों पर चर्चा में भाग लेने, विशेष सत्रों में भाग लेने और प्रमुख हितधारकों के साथ आमने-सामने की बैठकों में शामिल होने का मौका मिला। कॉन्क्लेव के अलावा, प्रतिभागियों को अवसरों का पता लगाने और अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के अन्य सत्रों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। यह अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने, नए उपक्रमों की खोज करने और राजस्थान की उन्नति में योगदान देने का एक अनूठा अवसर था।

❖ स्टार्टअप पॉलिसी :

- राजस्थान सरकार ने 9 अक्टूबर, 2015 को स्टार्टअप फेस्ट 2015 के दौरान प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी लांच की। स्टार्टअप फेस्ट 9-10 अक्टूबर, 2015 को जयपुर में आयोजित किया गया। यह 5 साल तक जारी रहेगी। इस पॉलिसी के माध्यम से ऐसे उद्यमी युवाओं को सहायता प्रदान की जाएगी। जिनके पास लीक से हटकर अपना नया बिजनेस प्लान है वे स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश एवं गुजरात के बाद ऐसी पॉलिसी जारी करने वाला राजस्थान देश का पाँचवां राज्य एवं उत्तर भारत का पहला राज्य है।

❖ राजस्थान एमएसएमई नीति, 2024 :

- एमएमएमई इकाईयों पर ऋण पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान। एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख तक की सहायता। उन्नत प्रौद्योगिकी (एडवांस्ड टेक्नोलॉजी) एवं सॉफ्टवेयर पर 50 प्रतिशत अथवा 5 लाख रुपये तक का अनुदान। गुणवत्ता प्रमाणन क्वालिटी सर्टिफिकेशन एवं आईपीआर पर 3 लाख रुपये तक की पुनर्भरण सहायता। विपणन हेतु आयोजनों में जाने पर 1.5 लाख तक का अनुदान। डिजिटल उपकरणों पर 50,00 रुपये तक का पुनर्भरण। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क पर 75 प्रतिशत अथवा 50,000 रुपये तक का पुनर्भरण।

☞ नोट : राजस्थान की पहली एमएसएमई नीति 17 सितम्बर, 2022 को जारी की गई।

☞ नोट : एमएसएमई दिवस – 17 सितम्बर

❖ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2024 :

- राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 दिनांक 8 अक्टूबर, 2014 को जारी गई है।

❖ **मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना, 2024 :**

- पूर्व में प्रचलित मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना-2010 को संशोधित कर मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना, 2013 प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत नवीन उद्यम की स्थापना, स्थापित उद्यम के आधुनिकीकरण, विस्तार, विविधिकरण के प्रयोजन हेतु बैंकों के माध्यम से अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।

❖ **युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना :**

- राज्य के युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु 19 अप्रैल, 2013 में लागु। इस योजना में 25 लाख से 1 करोड़ रु. तक की लागत की परियोजनाओं हेतु न्यूनतम ब्याज दर एवं सुगम शर्तों पर राजस्थान वित्त निगम से ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

❖ **राज्य का पहला फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट :**

- 1 सितम्बर, 2013 को जोधपुर-नागौर रोड पर मंडोर क्षेत्र में राज्य के पहले फुटवियर डिजाइन एवं डवलपमेंट इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया।

❖ **‘खादी मार्क’ का लोकार्पण :**

- खादी मार्क का लोकार्पण 30 सितम्बर, 2013 को राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा किया गया।

❖ **महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना :**

- यह योजना विकास आयुक्त (हाथकरघा), भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से 19 सितम्बर, 2005 को शुरू की गई है। इस योजना का मूल उद्देश्य हाथकरघा बुनकरों की स्वाभाविक मृत्यु के साथ-साथ दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में बीमा कवर प्रदान करना है।

❖ **अरबन हाट बाजार व ग्रामीण हाट बाजार :**

- राज्य के लघु उद्योग एवं हस्तशिल्पियों के उत्पादों के विक्रय हेतु उद्योग विभाग की संस्था उद्यम प्रोत्साहन संस्थान द्वारा जयपुर, जोधपुर व अजमेर में अरबन हाट बाजार तथा 10 स्थानों (भरतपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, झुंझुनूं, कोटा, दौसा, राजसमंद एवं उदयपुर) पर ग्रामीण हाट बाजार स्थापित किए गए हैं। द्वितीय चरण में पाँच जिलों-पुष्कर (अजमेर), बूंदी, चुरू, झालावाड़ व करौली में ग्रामीण हाट तथा सीकर व अलवर में अरबन हाट बाजार की स्थापना की जाएगी। अरबन हाट 200 लाख रुपये की परियोजना है जिसमें केन्द्र राज्य का 70 : 30 का योगदान है। ग्रामीण हाट 100 लाख रुपये की योजना है। जिसमें केन्द्र व राज्य का 75 : 25 का

योगदान है। जयपुर की ब्लू पॉटरी का विकास आयुक्त, हस्तशिल्प के सहयोग से भौगोलिक उपदर्शन (GI Patent) में रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लिया गया है। इस हेतु रूडा ने 'जयपुर ब्लू लोगो' को दस्तकारों के हितार्थ जारी किया। सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एवं डवलपमेंट सेंटर, बीकानेर का तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा लोकार्पण 13 मई, 2010 को किया गया।

❖ **इण्डिया स्टोनमार्ट, 2024 :**

- इण्डिया स्टोनमार्ट अंतर्राष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी राज्य का एक अति महत्वपूर्ण एवं पलैगशिप आयोजन है जिसमें विभिन्न देशों व राज्यों के क्रेता व ट्रेडर्स आदि भाग लेते हैं।

❖ **ई-गवर्नेन्स व आईटी नीति, 2015 :**

- मुख्यमंत्री ने नवीन सूचना प्रौद्योगिकी नीति 5 नवम्बर, 2015 को जारी की।

❖ **राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति, 2015 :**

- जैव प्रौद्योगिकी (बायो टेक्नोलॉजी) क्षेत्र में विकास की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र में निवेश व रोजगार सृजन के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति 2015 जारी की गई है।

❖ **जापानी पार्क (नीमराना, अलवर)**

- औद्योगिक विकास में वृद्धि हेतु इण्डो-जापानी सहयोग के तहत रीको द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जापानी संस्था, जैट्रो (JETRO :-Japanese External Trade Promotion Organisation) के साथ 2006 में एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया था। जिसके तहत जैट्रो के सहयोग से राजस्थान के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र, अलवर में एक जापानी जोन विकसित किया गया है। भारत में ये अपनी तरह का पहला नवाचार है। यहाँ जापानी जोन की सफलता को देखते हुए जैट्रो के आग्रह पर रीको द्वारा घिलोट में दूसरा जापानी जोन बनाया जा रहा है।

❖ **'मेक इन इंडिया' अभियान :**

- केन्द्र सरकार ने देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने हेतु 25 सितम्बर, 2014 को वैश्विक स्तर पर Make in India अभियान की शुरुआत की। यह अभियान देशी व विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने एवं आमंत्रित करने हेतु प्रारम्भ किया गया है।

❖ **'मेक इन राजस्थान' :**

- 15-17 जनवरी, 2015 तक 'सीआईआई पार्टनरशिप समिट' का आयोजन जयपुर में बिड़ला ऑडिटोरियम में हुआ। इसमें श्रीमती वसुंधरा राजे ने 'मेक इन इंडिया' के साथ 'मेक इन राजस्थान' का नारा दिया।

महत्वपूर्ण तथ्य :

- **रामगंजमण्डी में स्पाइस पार्क** – जोधपुर के बाद दूसरा स्पाइस पार्क रामगंजमण्डी कोटा में लगाया जाएगा।
 - **रेलवे के कोच व वैगन के लिए किशनगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र सिलोरास्थित एक फैक्ट्री**—आशिका कॉमर्शियल प्रा.लि. प्रदेश की पहली बोगी फ्रेम उत्पादक कम्पनी में तैयार किए गए बोगी फ्रेम (WAG-7) की सप्लाई 11 अक्टूबर, 2010 से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि. (BHEL) को शुरू हो गई।
 - **निप्पोन का नीमराणा में प्रोजेक्ट**—निप्पोन पाइप इंडिया प्रा. लि. ने नीमराणा के जापानी जोन के माजराकाठा में ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल के लिए स्टील ट्यूब कंपोनेंट्स परियोजना स्थापित की है।
 - **विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर बल**—देश में उत्प्रेरक औद्योगिक वातावरण तैयार करने हेतु द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61) में महालनोबिस मॉडल के आधार पर औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई एवं अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई। राजस्थान में तृतीय पंचवर्षीय योजना में आधारभूत सुविधाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई तथा राज्य के औद्योगिक विकास हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया। राज्य में औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक व्यय (कुल परियोजना व्यय का 5.3 प्रतिशत) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) में किया गया।
- ❖ **व्यावसायिक गलियारा :**
- भारतमाला परियोजना के तहत राज्य से गुजरने वाली दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं दिल्ली बडौदरा एक्सप्रेस वे एवं अमृतसर जामनगर व्यावसायिक गलियारा हैं। दिल्ली बडौदरा राष्ट्रीय गलियारा 8 लेन का ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है जिसमें से लगभग 374 किलोमीटर का हिस्सा प्रदेश के अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा से गुजर रहा है। इसके एक हिस्से को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं। इसी राष्ट्रीय गलियारे के एक हिस्से के रूप में जयपुर से बांदीकुई तक 67 किलोमीटर के लिंक एक्सप्रेस-वे का काम प्रगति पर है। इसी प्रकार अमृतसर जामनगर व्यावसायिक गलियारे का लगभग 637 किलोमीटर हिस्सा प्रदेश के हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर जिले से गुजर रहा है। इसका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

❖ दिल्ली बडौदरा राष्ट्रीय गलियारे एवं अमृतसर जामनगर :

- व्यावसायिक गलियारे के पूर्ण होने से प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र सहित सम्पूर्ण प्रदेश को देश के बड़े व्यावसायिक शहरों तक सीधी एवं त्वरित कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे प्रदेश के पर्यटन एवं आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। राष्ट्रीय राजधानी से सीधे जुड़ाव से प्रदेश के कई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को विकेन्द्र डेस्टीनेशन के तौर पर बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों के फल एवं सब्जी उत्पादक किसानों को बड़े बाजारों तक सीधी पहुंच मिलने से उनकी आय में वृद्धि होगी।

❖ राज्य में औद्योगिक विकास केन्द्र :

- आबू रोड (सिरोही)
- पलसाना (चन्द्रावती विकास केन्द्र)
- परबतसर (नागौर)
- करणी (बीकानेर)
- खारा (बीकानेर)
- धौलपुर
- हम्मीरगढ़ (भीलवाड़ा)

❖ राज्य में मिनी विकास केन्द्र :

- सांगरिया (जोधपुर)
- गोगेलाव (नागौर)
- फालना (पाली)
- बयाना (भरतपुर)
- खुशखेड़ा (भिवाड़ी-अलवर)
- निवाई (टोंक)
- कालरावास (उदयपुर)
- हिण्डौन सिटी (करौली)
- बारां

❑ बाड़मेर रिफाइनरी :

- 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की राजस्थान रिफाइनरी सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना के कार्य का शुभारम्भ दिनांक 16 जनवरी, 2018 को पचपदरा जिला बाड़मेर में किया गया है। एच. पी.सी.एल. एवं राजस्थान का संयुक्त उद्यम-देश की प्रथम ऐसी परियोजना है, जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। **परियोजना लागत**—रु. 43.129 करोड़। **ऋण इक्विटी अनुपात**—2 :1। संयुक्त उद्यम, जिसमें एच.पी.सी.एल. की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत।
- रिफाइनरी से निकलने वाले उत्पाद**—बी.एस.-IV क्रूड मिक्स-राजस्थान से निकलने वाले 2.5 एम.एम.टी.पी.ए. कच्चे तेल का 30 वर्षों तक बिना किसी लागत वृद्धि के रिफाइनरी में उपयोग होगा एवं शेष रही क्षमता के लिए अरब के कच्चे तेल का उपयोग किया जाएगा। उत्पाद—ईंधन एवं पेट्रोकेमिकल।
- रिफाइनरी परियोजना की प्रगति**—विभिन्न निर्माण गतिविधियों पर लगभग रु. 1,126 करोड़ का व्यय किया गया। कुल 27 किमी. चारदीवारी में से 14.96 किमी. का निर्माण कार्य पूर्ण तथा 45 किमी. आन्तरिक सड़कों में से 26.3 किमी. सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है। साइट ग्रेडिंग का कार्य पूर्ण हो गया है। जल भण्डार के एक खण्ड का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। राजस्थान की मृदा परीक्षण, भू-तकनीक एवं स्थलाकृति सर्वेक्षण और कच्चे तेल का नमूना परीक्षण कार्य किया गया। वाटर पाइपलाईन, क्रूड पाइपलाईन और पेट्रोकेमिकल उत्पाद पाइपलाईन को पूर्ण करने के लिए मार्ग सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो गया है और उपयोग में लेने का अधिकार (आर.ओ.यू.) कार्य प्रगति पर है। विद्युत वितरण के लिए सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। विभिन्न प्रक्रिया लाइसेंस धारक इकाइयों के लिए बेसिक डिजाइन इंजीनियरिंग पैकेज (बी.डी.ई.पी) पूर्ण किया गया।

❖ राज्य की औद्योगिक नीतियाँ :

- 24 जून, 1978 — कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन व बेरोजगारी असंतुलन दूर करना (भैरोसिंह शेखावत के समय)
- दिसम्बर 1990 में घोषित व अप्रैल, 1991 से लागू—रोजगार, खनन कार्यो व कृषि में वित्तीय साधनों को बढ़ावा देना।
- 15 जून, 1994 — तीव्र औद्योगिक विकास के लिए निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए।
- 4 जून, 1998

- V. नई औद्योगिक व निवेश नीति—अगस्त, 2010, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय।
- VI. नई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति—20 नवम्बर, 2015। (MSME पॉलिसी रिसर्जेंट राजस्थान समिट में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा जारी की गई)।
- VII. नई औद्योगिक विकास नीति—19 दिसम्बर, 2019 को जारी की गई। राजस्थान में सतत एवं पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास करने, उद्योगों के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने, रोजगार के नये अवसर सृजित करने एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र

- राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर व अग्रणी बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार बीकानेर जिले में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्क की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कंपनी को कुल 4780 हैक्टेयर तथा फलौदी जिले में 500 मेगावाट के एक सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को लगभग 910 हैक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है।

बीकानेर जिले में एक-एक हजार मेगावाट के दो तथा 450 मेगावाट का एक सोलर पार्क स्थापित किया जायेगा। ये सोलर पार्क राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय (केन्द्र सरकार) की सौर पार्क योजना के अन्तर्गत 3 चरणों में विकसित किये जायेंगे। साथ ही एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए फलौदी जिले की बाप तहसील में ग्राम भड़ला में भूमि आवंटन को मंजूरी दी है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार

- राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1983 में की गई जिसके तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् का गठन 11 अगस्त, 1983 में किया गया। इस विभाग का निदेशालय मिनी सचिवालय जयपुर में है। इस विभाग द्वारा संचालित राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र जोधपुर में स्थित है।
- विज्ञान उद्यान—नवलगढ़ (झुंझुनू)

- **पेटेन्ट सूचना केन्द्र—जयपुर**
- **बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट—भरतपुर।**
- विज्ञान पार्क एवं विज्ञान उद्यान—बीकानेर
- विज्ञान सिटी जयपुर को कहा जाता है। **जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान—बीकानेर**
- मनरेगा के अन्तर्गत प्रदेश का पहला ऑनलाइन जिला सीकर है।
- अत्याधुनिक तकनीक एवं संरक्षित खेती का रोल मॉडल बहरोड़ जिले के **जैनपुरवास गाँव** में बनाया जायेगा जो प्रदेश का पहला बागवानी पार्क होगा।
- 1987 में कम्प्यूटर निदेशालय का गठन किया गया है, इसे 13 मई, 2002 को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।
- जैव प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन हेतु प्रदेश में पहली बार इन्स्पायर स्कीम लागू की गई है।
- विज्ञान पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष—कोटा तथा बीकानेर।
- उपक्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर में स्थित है।
- रेवेन्यू लैंड रिकार्ड कम्प्यूटराइजेशन में राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर है जबकि हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है।
- केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 31 मई, 2012 को नई दूरसंचार नीति को मंजूरी दी थी।
- राजस्थान विधानसभा देश की पहली हाईटेक और पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत (ऑनलाइन) विधानसभा है।
- कारोबार पंचायत के अन्तर्गत राज्य में पहली बार भीलवाड़ा व उदयपुर को बायोमेट्रिक तकनीक के अन्तर्गत अंगूठा छाप की नयी तकनीक से जोड़ा गया है।
- ❖ **जयपुर जिले में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास :**
- राज्य के पहले राष्ट्रीय स्तर के सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना रूपा की नांगल (जयपुर) में स्टील किंग प्रवासी भारतीय लक्ष्मी निवास मित्तल द्वारा की गई है। दूदू में पहला ई-सेवा केन्द्र स्थापित किया गया है। 19 नवम्बर, 2009 को दूदू नामक स्थान पर भारत में सर्वप्रथम भारत निर्माण **राजीव गाँधी सेवा केन्द्र** की नींव रखी गई। प्रत्येक नागरिक को 12 अंक का विशिष्ट पहचान नम्बर (आधार कार्ड) देने की शुरुआत **दूदू** से की गई। आधार योजना को प्रदेश में वर्तमान में लागू Integrated Financial Management System (IFSM) से जोड़ा गया है।

- **कालाडेशा**—राज्य का पहला गाँव जहाँ **साइबर कियोस्क** की स्थापना की गई।
- **नायला**—राज्य में इंटरनेट से जुड़ने वाली पहली ग्राम पंचायत।
- **दहमीकलाँ**—यहाँ साइंस सिटी व इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की स्थापना की गई।
- राजस्थान भारत का पहला राज्य है जहाँ आपदाओं से निपटने के लिए **मल्टी हैजार्ड वल्नेरेबिलिटी मैपिंग सिस्टम यूनिसेफ** के सहयोग से लागू किया जा रहा है।
- टेलीमेडिसीन सेन्टर वाला राज्य का पहला **गाँव—कैथून (कोटा)**
- पंचायतों को ब्रॉड बैंड इंटरनेट सर्विस से जोड़ने के लिए प्रथम बायोमैक्स टावर देश में सबसे पहले **अजमेर** में लगाया गया है।
- राज्य में BSNL का पहला कॉल सेन्टर **अजमेर** में लगाया गया है।
- **पुष्कर** में 28 अक्टूबर, 2006 को पहला हाइटेक डाकघर शुरू किया गया।
- 13 दिसम्बर, 2009 को पीसांगन (अजमेर) में BSNL की ओर से देश की पहली वाई मैक्स सेवा शुरू की गई है।
- केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने अजमेर व जोधपुर जिलों को ई—जिला घोषित किया है। (ऑनलाइन जिला) । राजस्थान का पहला साइबर थाना **जयपुर** में खोला गया है।
